bhasha vigyana part 2

by Geetu Dhawan

Submission date: 22-Jul-2024 12:08PM (UTC+0530)
Submission ID: 2420652451
File name: bhasha_vigyana_part_2.pdf (784.7K)
Word count: 23725
Character count: 87414

एम.ए. हिंदी पूर्वार्द्ध द्वितीय सेमेस्टर

MAHN 201

भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा

निदेशालय, दूरस्थ शिक्षा

गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी

हिसार

एम.ए. हिंदी पूर्वार्द्ध द्वितीय सेमेस्टर

सत्र से प्रभावी

समय–3 घंटे **कुल अंक : 100**

लिखित परीक्षा : 80

आंतरिक मूल्यांकन : 20

प्रश्न–पत्र–2 भाषा विज्ञान एवं हिन्दी भाषा

1. पाठ्यक्रम चार खण्डों में विभक्त है। प्रत्येक खण्ड से दो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किसी एक का उत्तर देना होगा। उनके लिए 48 (4×12) अंक निर्धारित है।
2. समूचे पाठ्यक्रम पर आधारित दस लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्ही पाच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना होगा इनके लिए 20 (5×4) अंक निर्धारित है।
3. समूचे पाठ्यक्रम पर आधारित बारह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके लिए 12 (1×12) अंक निर्धारित हैं। इस प्रश्न में कोई विकल्प नहीं होगा।

पाठ्य विषय

खण्ड क)

प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएं– वैदिक तथा लौकिक संस्कृत और उनकी विशेषताएं : मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा–पालि, प्राकृत शौरसेनी, अर्द्धमागधी, मागधी; अपबंध और उसकी विशेषताएं आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएं और उनका वर्गीकरण।

खण्ड ख)

हिन्दी की उपभाषाएं–परिचमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी राजस्थानी, बिहारी और उनकी बोलियां; खड़ी बोली; व्रज और अवधी की विशेषताए।

खण्ड ग)

हिन्दी की स्वनिम व्यवस्था खंड्य एवं खण्ड्येतर ; हिन्दी शब्द रचना–उपसर्ग ; प्रत्यय; समास; रुप रचना–लिंग, वचन और कारक–व्यवस्था के संदर्भ में हिन्दी के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियारूप, हिन्दी वाक्य–रचना : पदक्रम और अन्विति देवनागरी लिपि : विशेषताएं और मानकीकरण

खण्ड घ)

हिन्दी के विविध रूप : सम्पर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, माध्यम भाषा, संचार–भाषा; हिन्दी की संवैधानिक स्थिति, हिन्दी में कम्प्यूटर सुविधाएं; आकडा–संसाधन और शब्द–संसाधन; वर्तनी शोधन, मशीनी अनुवाद, हिन्दी भाषा–शिक्षण : स्वरूप एवं उद्देश्य; हिन्दी उच्चारण, वर्तनी और व्याकरण का शिक्षण।

एम.ए. हिंदी पूर्वार्द्ध द्वितीय सेमेस्टर

कोर्स कोडः एम.ए. – 101

सामग्री संकलन एवं लेखन– डॉ0 राजपाल सहायक प्रो0 हिंदी

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय/शीर्षक	पृष्ठ सं0
1.	प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं	5

हिंदी विज्ञान और हिंदी भाषा	
एम. ए. हिंदी	कोर्स कोड़ : एम. ए. – 101
समग्री संकलन एवं लेखन – डॉ. राजपाल सहायक प्रो0 हिंदी	विश्लेषक –
खंड–क	अध्याय – 1

1.0 उद्देश्य

1.1 प्रस्तावना

1.2 विषय प्रस्तुति

1.3 सारांश

1.4 संकेत शब्द

1.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न

1.6 संदर्भ सामग्री

1.0 उद्देश्य :–

आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिसार के दूरस्थ शिक्षा निदेशलय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की संरचना से संबंधित पाठ्यक्रम की इकाइयों का अध्ययन करने जा रहे है। द्वितीय खंड क प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं से संबंधित से है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा के क्षेत्र –व्याप्ति को जान सकेंगे।
- हिंदी की बढती भौगोलिक सीमाओं के कारणों से परिचित हो सकेंगे।
- भारतीय आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के प्रयासों को जानते हुए इसमें हिंदी का स्थान निर्धारित कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना :–

सर्वप्रथम हिंदी भाषा का अस्तित्व, उसका विकास, प्राचीन भारतीय भाषाओ तथा मध्यकालीन एवं आधुनिककालीन भाषाओं पर दृष्टि डाली जा रही है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है। उस सीमा के भीतर ही अमुक भाषा का अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। हिंदी भाषा का भी एक भौगोलिक सीमा है और उस सीमा के भीतर का क्षेत्र उसका भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हैं इस कारण इसका भोगौलिक क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। विस्तृत क्षेत्र में व्यवहत होनेवाली इस भाषा को विभिन्न वर्गो एवं उपवर्गो में बांटकर अध्ययन किया जाता है। विभिन्न भाषाविदों – डॉ. निमर्सन, डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी एवं डॉ. धीरेंद्र वर्मा सर्वप्रथम भारतीय आर्यभाषाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। हिंदी भाषा की गणना भी भारतीय आर्यभाषाओं के भीतर की जाती है।

1.2 विषय प्रस्तुति :–

1.2.1 प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं :–

समय की दृष्टि से अर्थात् ऐतिहासिक दृष्टि से आर्य भाषा समूह को तीन वर्गों में विभक्त किया जाता है।

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा – इसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है।

2. मध्य भारतीय आर्य भाषा :– इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ई. तक।

3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा :– इसका समय 1000 ई. से वर्तमान समय तक।

1. प्राचीन भारतीय आर्य–भाषा :–

भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद का समय प्रायः अनिश्चित है। इसका मंत्रों को देखने से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद की रचना न तो एक समय में हुई और न ही एक स्थान पर। उसके मंत्रों में भाषा–भेद पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि वह कई शताब्दियों और कई स्थानों पर रचा गया। ऋग्वेद के दस मंडलों में प्रथम और दसवां मंडल बाद की रचनाएं माने जाते हैं।

वैदिक भाषा का साहित्य पूरे विश्व की भाषाओं के साहित्य से विशाल है, इसके अंतर्गत संहिता, ब्राम्हण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ है। वैदिक साहित्य में जो भाषा मिलती है वो निरन्तर विकसित होती हुई दिखाई देती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन बोल–चाल की भाषा इसके समीप रही होगी। ऋग्वेद के प्रथम और दशम् मण्डल की भाषा तथा शेष मंडलों की भाषा में अंतर है। जब हम ऋग्वेद और उपनिषदों की भाषा की तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि ऋग्वेद की भाषा में प्राचीनता के साथ–साथ सहजता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद का मंत्र प्रस्तुत हैः–

उत त्वागने दिवे–दिवे दो त्रावस्तर्धिया वयम्।

नमो भरन्त एमासि।"

अर्थात् हे अग्नि देवता हम लोग प्रतिदिन प्रातः सायं बुद्धि पूर्वक प्रमाण करते हुए तुम्हारे पास आते हैं। जब हम उपनिषदों की भाषा का परीक्षण करते हैं तो यह पाते हैं कि वह भाषा व्याकरण के कठोर नियमों में बंधित है।

ऋग्वेद की भाषा बेशक साहित्यिक और परिनिष्ठित थी लेकिन सहज और सरल थी। उसके समानान्तर निःसंदेह कोई बोलचाल की लोकभाषा रही होगी लेकिन आज हमें उसका ज्ञान नहीं है। इसी वैदिक भाषा से लौकिक संस्कृत भाषा का विकास होता है।

वैदिक भाषा की सामान्य विशेषताएं :–

1. वैदिक भाषा श्लिष्ट योगात्मक है।

2. इसकी रूप रचना में विविधता और जटिलता है। जैसे :– देव शब्द की प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में दो–दो रूप मिलते हैं, देवाः–देवासः दोनों रूप मिलते हैं। इसी तरह तृतीया विभक्ति के बहुवचन में दो–दो रूप मिलते हैं। देवैः–देवेभिः। लौकिक संस्कृत में आकर ये रूप व्यवस्थित हो गए और अपवादों की कमी हो गई, और देवाः तथा देवैः इन्हीं दो रूपों को मान्यता मिली।

3. वैदिक भाषा स्वर प्रधान है और इसमें तीन स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित।

4. संस्कृत के समान वैदिक भाषा में तीन लिंग –स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसी तरह तीन वचन होते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन।

5. वैदिक भाषा में उपसर्ग का प्रयोग मूल शब्द से हटकर भी होता है। जैसे :– आ नो भद्राः कतवोयन्तु विश्वत......।

इस प्रकार वैदिक संस्कृत की रूप रचना भिन्न है। जहां तक समास का प्रश्न है वैदिक संस्कृत में समास बहुत कम है और है भी तो दो शब्दों के समास है। वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरूष कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्वन्द्व ये चार ही समास पाए जाते हैं।

वैदिक भाषा में जो शब्द पाए जाते हैं वे मूल शब्द से विकसित शब्द हैं। जैसे :– इह (यहां) शब्द इच्छा शब्द से विकसित हुआ है। इसी प्रकार विशति शब्द द्विशति शब्द से विकसित हुआ।

ब्राम्हण ग्रंथों से पता चलता है कि वैदिक काल में प्राचीन आर्य भाषा के कम से कम तीन रूप या तीन बोलियां दी। पहली बोली पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यवर्ती और तीसरी पूर्वी थी।

लौकिक संस्कृत का काल 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की गई भाषा। इस भाषा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आचार्य पाणिनि का जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना करके लौकिक संस्कृत को व्यवस्थित किया लगता है कि इस भाषा को पाणिनि द्वारा इसीलिए व्यवस्थित करना पड़ा कि उस समय तक यह बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। इसीलिए पाणिनि ने इसे भाषा शब्द से व्यवहृत किया जिसका अर्थ है भाषा अर्थात् बोली, लौकिक संस्कृत का विशाल साहित्य है जिसमें दो प्रकार के विभाजन किए जा सकते हैं :–

1. आध्यात्मिक साहित्य :– इसमें उपनिषदों से लेकर पुराण साहित्य तक की गणना की जा सकती है।

2. साहित्यिक रचनाएं :– इसके अंतर्गत कालिदास, भवभूति, भारवि, मार्गशुन्द्रक, बाणभट्ट आदि की रचनाएं शामिल की जाती हैं।

वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में मूल अंतर निम्नलिखित बातों का है :–

1. वैदिक भाषा का मानकीकरण नहीं हुआ था। इसीलिए उसमें शब्दों के रूप, ध्वनियों के उच्चारण आदि में एकरूपता नहीं है जबकि लौकिक संस्कृत का व्याकरण की दृष्टि से मानकीकरण हो गया था। इसलिए उसमें बहुत कम अपवाद है वरना एकरूपता पाई जाती।

2. वैदिक संस्कृत में लृ ऋ, ॠ इनके उच्चारण स्वर की तरह ही होते थे, लौकिक संस्कृत में आकर इनका उच्चारण क्रमशः लि,रि, री, के रूप में होने लगा।

3. वैदिक संस्कृत में ऐ औ का उच्चारण क्रमशः आई, आइ ऐसा किया जाता था लेकिन लौकिक संस्कृत में इन दोनों का उच्चारण क्रमशः अइ, अउ ह्रस्व हो गया।

4. इसी प्रकार ए और ओ का उच्चारण वैदिक संस्कृत में संयुक्त स्वर के रूप में क्रमशः अइ और अउ होता था जबकि लौकिक संस्कृत में ये मूल स्वर बन गये।

5. वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक स्वराघात था। लेकिन लौकिक संस्कृत में इसके स्थान पर बलात्मक स्वराघात हो गया।

6. दोनों संस्कृतों के क्रिया रूपों में कुछ प्रमुख अंतर है जैसे वैदिक लंकारों में भूतकाल के लिए लिट्, लुड़ और लड् का भेद नहीं है लेकिन लौकिक संस्कृत में इन तीनों का भेद है। वैदिक संस्कृत का लेट लकार लौकिक संस्कृत में नहीं है, वैदिक संस्कृत में लिट् लकार वर्तमान के अर्थ में था लेकिन लौकिक संस्कृत में ये भूतकाल के लिए आता है। वैदिक संस्कृत में छोटे–छोटे प्रायः दो शब्दों के समास मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में बड़े–बड़े समस्त पद बनने लगे।

7. वैदिक भाषा में उपसर्ग वाक्य में किसी भी स्थान पर आ सकता था लेकिन लौकिक संस्कृत में उपसर्ग अपने पद से संबद्ध होकर ही आता है।

8. वैदिक संस्कृत में विजातीय शब्द बहुत है लेकिन लौकिक संस्कृत में उनकी संख्या और भी बढ़ गई। जैसेः– द्रविड़ भाषा से कुछ उदाहरण प्रस्तुत है, जैसे :–पानी के लिए नीर, तोते के लिए कीर, बंदर के लिए मर्कट इत्यादि। इसी तरह अरबी, ईरानी, आज बहुत से शब्द लौकिक संस्कृत में आ गए हैं। संस्कृत में कुछ शब्द चीनी भाषा के भी आये हैं। जैसे :– चीन शब्द

1.2.2 मध्य भारतीय आर्य भाषा :—

इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ई0 तक माना जाता है। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल को प्राकृत काल भी कहते हैं। इसके तीन स्तर है :—

1. प्रथम प्राकृत :— इसका समय 500 ईसा पूर्व से ईसवी सन् के आरंभ तक माना जाता है। इसी को पालि भाषा नाम दिया गया है। महाराजा अशोक के सारे अभिलेख इसी भाषा में मिले है।

2. द्वितीय प्राकृत :— ईसवी सन् के आरंभ से 500 ईसवी तक का माना जाता है। इसे साहित्यिक प्राकत अथवा महाराष्ट्री आदि नाम दिया गया है।

3. तृतीय प्राकृत :— इसका समय 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है और इसे अपभ्रंश कहते हैं।

प्राकृत भाषा की उत्पति के संबंध में तीन मत हैं :—

पहले मत के अनुसार संस्कृत को प्रकृति कहते हैं और उससे उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं अर्थात् संस्कृत में जो रूप परिवर्तन हुआ उससे प्राकृत की उत्पति हुई।

दूसरा मत यह है कि मूल भाषा तो प्राकृत है। उसका संस्कार करके संस्कृत का निर्माण हुआ। इस संबंध में विद्वानों का मत है—प्रकृत्या सिद्धम् प्राकृतम् अर्थात जो स्वभाव से ही सिद्ध हो उसे प्राकृत कहते हैं। इसी प्राकृत को जब परिष्कृत किया गया तो संस्कृत भाषा बनी।

तीसरे मत के अनुसार न तो संस्कृत से प्राकृत उत्पन्न हुई और न ही प्राकृत से संस्कृत। दोनों का अलग—अलग स्वतंत्र रूप में विकास हुआ अनुमान है कि संस्कृत के सामान्यतर जो जनभाषाएं थी उन्हीं का विकसित रूप ही प्राकृत भाषाओं के रूप में प्रकट हुआ।

इन तीनों मतों में से अंतिम मत अधिक उचित प्रतीत होता है।

1. पालि :– पालि शब्द की निष्पति इस प्रकार की जाती है– 1. पंक्ति से पंति, पंति से पत्ति, पत्ति से पट्टि और इसी पट्टी से पल्लि और पल्लि से पालि शब्द बना। 2. दूसरा मत– इस मत के अनुसार संस्कृत में पल्लि शब्द गांव के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी पल्लि की भाषा को पालि कहा गया है।

3. तीसरे मत के अनुसार प्राकृत से बिगड़ते–बिगड़ते पालि बना। कुछ विद्वान अर्थात

4. चौथे मत के अनुसार कुछ विद्वान पाटिल पुत्र से पालि शब्द की उत्पत्ति मानते हैं।

5. पांचवां मत – इसके अनुसार पाल धातु से पालि शब्द बना है, जिसका अर्थ है पालन या रक्षा करना। जिस भाषा के द्वारा गौतम बुद्ध के उपदेशों की रक्षा की गई है उसे पालि कहते हैं।

6. छठा मत :– इस मत के विद्वानों ने पर्याय शब्द से पालि भाषा की उत्पत्ति मानी है, प्राचीन बौद्ध साहित्य में गौतम बुद्ध के उपदेशों के लिए पर्याय शब्द का प्रयोग होता था। इसी से विद्वानों ने पालि शब्द का अर्थ जोड़ लिया।

पालि भाषा का संबंध मथुरा के आस–पास के भू–भाग या क्षेत्र से जोड़ा जाता है जिसे शौर सेनी क्षेत्र भी कहते हैं।

पालि भाषा की कुछ विशेषताएं :–

1. वैदिक ध्वनियों में ऋ, ॠ, लृ, ए, ऐ, औ, श, ष और विसर्ग **(:)** इनका पालि में लोप पाया जाता है।

2. ऐ, औ के बदले में क्रमशः ए और ओ पाया जाता है। जैसे :– वैदिक ध्वनि का कैलाश शब्द पालि में केलाश हो जाता है। इसी तरह गौतम–गोतम बन जाता है।

3. वैदिक ध्वनि में जो अघोष वर्ण है, वह पालि में घोष वर्ण बन जाता है, जैसे :– क का ग, शाकल का सागल। इसी तरह से त का द हो जाता है। संस्कृत में उताहो का उदाहो बन जाता है।

4. पालि में लिंग तो तीन है लेकिन वचन दो ही है एकवचन और बहुवचन।

5. शब्द रूपों में अंतिम व्यंजन का लोप हो गया और सभी शब्द अर्थात उनकी जगह स्वर आ गया। जैसे :– राजन – राज – राजा

युवन– युव – युवा

6. अत्मने पदी धातुओं का लोप हो गया और उनके स्थान सभी परस्मैपदी धातु चल पड़ी। महाराजा अशोक के अभिलेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पालि में भी स्थान भेद के कारण भेद हो गए थे। इसमें पांच प्रकार के भेद पाए जाते हैं :– 1. पश्चिमी 2. उत्तरपश्चिमी 3. मध्यदेशीय 4. पूर्वी 5. दक्षिणी।

बौद्ध मत की हीनयान शाखा का समस्त साहित्य पालि भाषा में लिखा गया। इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। कुछ लोग यह मानते हैं कि इसका उद्भव मगध में हुआ।

1. प्राकृत या द्वितीय प्राकृत :– लोप भाषा के रूप में प्राकृतों का उद्भव और विकास हुआ प्राकृतों में पांच प्रमुख भेद है :–

1. महाराष्ट्री प्राकृत :– यह प्राकृत विदर्भ और महाराष्ट्र में बोली जाती है।

2. शौरसेनी प्राकृत :– यह मथुरा के आस–पास की बोली थी।

3. मागधी प्राकृत :– यह मगध देश में बोली जाती थी।

4. अर्धमागधी :– यह कोशल प्रदेश में बोली जाती थी।

5. पैशाची :– यह सिंध प्रदेश की बोली थी।

1. महाराष्ट्री प्राकृत :– महाराष्ट्री प्राकृत पद्य की भाषा रही। संस्कृत नाटकों में इसका उदाहरण पाया जाता है। प्राकृत के कावे हाल की गाहा सत्तसई (अपभ्रंश में नामकरण) और प्रवरसेन की रावणवहो की भाषा महाराष्ट्री है।

विशेषताएं :–

1. महाराष्ट्र् प्राकृत में स्वरों की बहुलता है।

2. दो स्वरों के बीच में आने वाले व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे :– लोको में क का लोप होने पर लोओ बन जाता है। रिपु – रिउ

3. कुछ महाप्राण व्यंजनों में परिवर्तन हो जाता है।

मेथ– मेह, शाखा – शाहा।

4. श, ष, , की जगह ह हो जाता है।

दश – दह , दिवस–दिवह, पाषाण – पाहाव

2. शौरसेनी प्राकृत :–

यह मथुरा के आस–पास की भाषा थी, और संस्कृत नाटकों के गंध में इसका प्रयोग हुआ।

विशेषताएं :– 1 दो स्वरों के बीच त का द हो जाता है और य का ध हो जाता हैं। भवति – होदि

2. आत्मनेपदी क्रियाओं की उपेक्षा हो गई है और परस्मैपदी क्रियाओं का प्रयोग होने लगा।

3. क्ष की जगह क्ख का प्रयोग होने लगा।

चक्षु – चक्खु, भिक्षु –भिक्खु, अक्षि–अक्खि।

3. मागधी :–

संस्कृत नाटकों के नीच पात्रों की संवादों में इसका प्रयोग होता है।

विशेषताएं :– 1. र का ल हो जाता है। जैसे :– पुरूष – पुलुश हल्दी या हरिद्रा – हीलद्दा।

4. अर्ध मागधी :–

अर्ध मागधी जैन साहित्य की भाषा रही है।

विशेषताएं :– 1. दन्त्य स का मूर्धन्य ष हो जाता है और व्यंजन वर्ण में विकार हो जाता है। स्थित – ठिय

2. तालव्य श, मूर्धन्य ष, स के लिए स का प्रयोग होता है।

3. कहीं–कहीं स्पर्श ध्वनि का लोप हो जाता है और उसकी जगह य की श्रुति आ जाती है।

सागर – सायर।

इसी प्रकार पैशाची प्राकृत भारत के उत्तर में बोली जाती थी, गुणाढ़य संस्कृत के विद्वान ने पैशाची में ही अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बृहत्त कथा लिखी है।

1.2.3. अपभ्रंशकाल या तृतीय प्राकृत :–

अधिकांश विद्वानों ने अपभ्रंश का समय 500 ई. में से 100 ई. तक माना है। विद्वानों ने संस्कृत भाषा से अपभ्रष्ट हो जाने के कारण अपभ्रंश कहा है, यह अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं तथा आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले पंतजलि के महाभाष्य में मिलता है। इसके बाद आचार्य भामह, दण्डी आदि ने काव्य भाषाओं की चर्चा में इसके उल्लेख किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्यिक भाषा के समानांतर प्राकृत के साथ–साथ अपभ्रंश भाषा लोक भाषा के रूप में चलती रही। जब कोई भी भाषा तथा स्वरूप ग्रहण करती है तब निश्चित रूप से उसमें अपना पूर्ववर्ती भाषा के गुण विद्यमान रहते हैं और

दूसरी ओर नई भाषा को जन्म देने के बीच भी मौजूद रहते हैं। इस दृष्टि से अपभ्रंश में प्राकृत के कुछ गौण देखने को मिलते हैं और कुछ गुण आधुनिक आर्य भाषाओं के भी पाए जाते हैं।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपभ्रंश में दो विशेषताएं पायी जाती हैं।

1. शाब्दिक विशेषता 2. व्याकरणीक विशेषता।

शाब्दिक विशेषता के अंतर्गत अपभ्रंश भाषा के ध्वनि संबंधी लक्षणों का विवेचन किया जाता है और व्याकरणीक विशेषता में उसकी व्याकरण संबंधी लक्षणों की चर्चा की जाती है।

अपभ्रंश की विशेषताएं :–

1. अपभ्रंश की प्रवृत्ति अयोग्यात्मकता की है इसका तात्पर्य यह है कि संस्कृत में जो योगात्मकता थी अर्थात शब्द और विभक्तियां मिलकर एक थी। अपभ्रंश तक आते–आते वह अलग हो गई। जैसे :– संस्कृत में छात्र–छात्राओं में छात्र ने, छात्रम – छात्र को।

2. प्राकृत की ध्वनियां अपभ्रंश में भी सुरक्षित है। स्वर ध्वनियां इस प्रकार है :–

ह्रस्व ध्वनियां :– अ, इ, उ, ऋ, ए, ओ

दीर्घ ध्वनियां :– आ, ई, उ, ऋ, ऐ, औ।

संस्कृत में लृ ध्वनि धीरे–धीरे प्रयोग में कम होती गई और अपभ्रंश में आकर बिल्कुल इसका लोप हो गया।

3. दीर्घ ऐ और औ की ध्वनियां अपभ्रंश में अइ, अइ हो गई। जैसे :– वैशाख को बइसाख, गौ को गउ की ध्वनियां आती है।

4. जहां दो व्यंजन वर्ण होते हैं, वहां एक उनमें से लोप हो जाता है और उसकी क्षति की पूर्ति के लिए पहला अक्षरर दीर्घ हो जाता है, जैसे :– संस्कृत में हस्त प्राकृत में हत्थ और अपभ्रंश में हाथ हो जाता है।

5. अपभ्रंश में अकारांत पुल्लिंग शब्दों की प्रधानता दिखती है। जैसे :— राजन से राजा, मुनिन से मुनी, श्वन से श्वा युवन् से युवा इत्यादि।

6. अपभ्रंश में एकवचन और बहुवचन दो ही रह गये हैं और द्विवचन का लोप हो गया।

7. अपभ्रंश में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही रह गये हैं और नपुंसकलिंग का लोप हो गया।

8. पुरूषवाचक सर्वनाम के रूपों में भी कमी आ गई है।

9. संस्कृत से लेकर प्राकृतों तक क्रिया के कालरूपों में जो विविधता थी, वह बहुत कम है।

10. दो व्यंजनों के बीच में उच्चारण की सुविधा के लिए इ स्वर लगा दिया। इसको स्वरागम कहते हैं जैसेः— आर्य को अरिया, क्रिया को किरिया कहने की प्रवृत्ति इसमें आई।

11. अपभ्रंश में 30 व्यंजन ध्वनियां हैं जो इस प्रकार है :—

क ख ग घ —

च छ ज झ —

ट ठ ड ढ ण

त थ द ध न

प फ ब भ म

य र ल व —

श ष स — —

संस्कृत और प्राकृत की तरह ही प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवीं ध्वनि अल्पप्राण होती है। र व्यंजन से संबंधित निम्नलिखित परिवर्तन प्राप्त होते हैं। पहली बात यह है कि संयुक्त र व्यंजन का लोप हो जाता है।

इस प्रकार प्राकृतों से निकली हुई अपभ्रंश भाषा अपनी पूर्ववर्ती और अपने से बाद वाली भाषाओं की कड़ी मानी जाती है। इसी को दूसरे शब्दों में हम पुरानी हिन्दी भी कह सकते हैं। कुछ विद्वान लोग अपभ्रंश के बाद विकसित होने वाली भाषा को अवहट्ट नाम दिया हुआ है।

1.2.4 आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं :–

आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश अथवा तृतीय प्राकृत से हुआ है। और ये भाषाएं जहां बोली जाती थी वहां उसी के अपभ्रंश का विकास हुआ और विभिन्न अपभ्रंशों से विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाओं का उद्भव हुआ। इनका वर्गीकरण या विकास निम्नलिखित रूप में हुआ है।

शौरसेनी – पश्चिमी हिन्दी (ब्रज, खड़ी बोली,बांगरू, कन्नौज बुन्देली)

राजस्थानी (मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी)

गुजराती।

अर्ध मागधी – पूर्वी हिन्दी (अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी)

मागधी – भोजपुरी और मैथिली

– मगही, बंगला, असमिया, उड़िया।

खस – पहाड़ी भाषा –शौरसेनी से प्रभावित

ब्राचड़ – पंजाबी और सिन्धी

महाराष्ट्री – मराठी

डॉ. ग्रियर्सन ने भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम दिया था लेकिन यह वैज्ञानिक नाम नहीं है क्योंकि ये तीनों भाषाएं अलग–अलग है।

पश्चिमी हिन्दी – पश्चिमी हिन्दी मध्य देश की बोलियो को कहा जाता है। यह नाम प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। इस वर्ग में उन्होंने प्रमुख रूप से पांच बोलियो को जिक्र किया है।

1. ब्रज भाषा 2. खड़ी बोली 3. धांगरू हरियाणवी 4. कन्नौजी 5. बुन्देली।

दक्षिण भारत में मुसलमानों द्वारा विकसित फारसी प्रधान हिन्दी की पश्चिमी हिन्दी के अंतर्गत आती है। इसका क्षेत्र अर्थात पश्चिमी हिन्दी वर्ग की भाषाओं का क्षेत्र हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, बुन्देलखण्ड, शिवनी और छिन्दवाड़ा आदि जिले हैं।

पश्चिमी हिन्दी की सभी भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है और इनमें ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली को सबसे अधिक साहित्यिक मान्यता प्राप्त हैं। वर्तमान समय में खड़ी बोली के रूप में हिन्दी भाषा संघ की राजभाषा है।

स्वरूप की दृष्टि से पश्चिमी हिन्दी की उपभाषाओं को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है।

1. आकारबहुलाभाषा :– इसके अंतर्गत खड़ी बोली तथा हरियाणवी भाषाएं आती हैं।

2. ओकारबहुला भाषा :– इसके अंतर्गत पश्चिमी हिन्दी की ब्रज, बुन्देली और कन्नौजी भाषाएं आती हैं, जैसे:– मैंने ही माखन खाओ।

ध्वनि की दृष्टि से इन दोनों वर्गों की भाषा में मूल अंतर यह है कि आकार बहुला भाषा के ड, ड़ ओकार बहुला भाषा में आकर इ बन जाते हैं। उदाहरण के लिए खड़ी बोली में पड़ता और दौड़ शब्द को ब्रज भाषा में परता और दौरि जाता है। इसीलिए ब्रजभाषा खड़ी बोली की तुलना में मधुर भाषा होती है।

पश्चिमी हिन्दी की सामान्य विशेषताएं :—

1. इसमें य और व का उच्चारण सुरक्षित है। कुछ तो बोलियों में त की ध्वनि पाई जाती है।

2. ण और श का स्पष्ट उच्चारण किया जाता है।

3. कहीं—कहीं महाप्राण ध्वनि को अल्पप्राण ध्वनि में बदल दिया जाता है। जैसे :— मैं भी, मैं बी, भूख—भूक।

4. इस वर्ग की बोलियों के कारकीय प्रसंग इस प्रकार है।

कर्त्ता — ने, नै (हरियाणवी)

कर्म — को कूं (हरियाणवी)

करण, अपादान — से, ते, सेती (हरियाणवी)

संबंध — का, के,की, को (हरियाणवी)

अधिकरण — में, पर वे (हरियाणवी)

5. इस वर्ग की बोलियों में निम्नलिखित सर्वनाम रूप पाए जाते हैं, खड़ी बोली में मैं ब्रज में हौ, थ्यारा।

6. वर्तमान काल की सहायक क्रिया के लिए हिन्दी में है, हौ, हो, सै का प्रयोग होता है। भूतकाल की सहायक क्रिया के लिए खड़ी बोली था, ब्रज भाषा मे हतो का प्रयोग होता है। हरियाणवी में था का प्रयोग। भविष्यत् काल के लिए गा, गे, गी, का प्रयोग किया जाता है।

पूर्वी हिन्दी :—

जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण में पूर्वी हिन्दी शब्द का प्रयोग किया था। इसे उन्होंने पश्चिमी हिन्दी के पूर्व और बिहारी हिन्दी के पश्चिम के क्षेत्र की भाषा

कहा था। इसका क्षेत्र कानपुर से मिर्जापुर तथा लखीमपुर और नेपाल की सीमा से लेकर दुर्ग बस्तर की सीमा तक फैला है। नेपाल की पहाड़ियों में पहाड़ी नेपाली, बोली जाती है और पश्चिम में कन्नौजी तथा बुन्देलखण्डी भाषाएं बोली जाती है और पूर्वी हिन्दी क्षेत्र के पूर्व की ओर भोजपुरी उड़िया तथा नागपुरी आदि भाषाएं बोली जाती हैं।

पूर्वी हिन्दी की उत्पत्ति अर्द्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। इसके अंतर्गत अवधी, बुन्देली, छत्तीसगढ़ी भाषाएं आती हैं, अवधी भाषा का साहित्य से अधिक समृद्ध है क्योंकि तुलसीदास ने इसी में रामचरित मानस के अतिरिक्त अन्य बहुत से ग्रंथ लिखे हैं।

19

पूर्वी हिन्दी की विशेषताएं :–

1. पूर्वी हिन्दी वर्ग की सभी भाषाओं में ण के स्थान पर न और श, ष न दोनों के स्थान पर स और ड़ के स्थान पर र बोला जाता है। उदाहरण :– रावण को रावन देश को देस, लड़का को लरिका (ड़ की जगह र) आदि।

2. ए और ऐ, ओ और औ की जगह अइ और अउ बोलते हैं। जैसे :– पैसा को पइसा, औरत को अउरत।

3. पूर्वी हिन्दी की तीन बोलियों अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, में य को ज और व को उ तथा ब बोला जाता है। जैसे :– यशोदा को जसोदा, वकील को उकील अथवा बकील आदि।

4. पूर्वी हिन्दी बोलियों के प्रमुख परसर्ग इस प्रकार हैं :–

कर्म – क, कह, को, कइ इत्यादि। मुझको–मोकह।

सम्प्रदान – के लिए, बरे, बदे, बाड़े। तुम्हारे लिए–तोहरे बदे।

संबंध – के, कर, केर, की। उसका – ओकर अथवा ओहिका।

अधिकरण – मां, मांझि, मांहि, में, पर इत्यादि गांव में – गांउमाझि

5. इन बोलियों में (अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी,) क्रिया की रचना थोड़ी सी जटिल है। जैसे :– कहिस का अर्थ उसने कहा इसके अतिरिक्त मैं आता हूं की जगह हम आवत ही अथवा आइत ई वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं अहै की जगह आरे, बारे का प्रयोग होता है। जैसे :– आ रहा है–आवत कहै।

6. भविष्यत काल के लिए ब का प्रयोग कर देते हैं। जैसे :– जाउंगा – जाब, आउंगा – आबुब।

पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी में अंतर :–

पूर्वी हिन्दी और पश्चिमी हिन्दी में विशेष अंतर नहीं है। पश्चिमी हिन्दी बोली या भाषा ब्रज में रचित सूरदास की कविताओं को समझने वाला व्यक्ति, पूर्वी हिन्दी की अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस को अच्छी तरह समझ लेता है, इन दोनों में मूलभूत अंतर इसलिए है कि पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी अपभ्रंश से और पूर्वी हिन्दी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकलती है।

भौगोलिक सीमाएं, स्थितियां और जीवन की परिस्थितियां भी इन दोनों के अंतर का कारण बनी है। वास्तव में जब कोई बोली स्थानीय जनभाषाओं के सम्पर्क में आती है तो न केवल उसका प्रभाव ग्रहण करती है बल्कि सीमावर्ती बोलियों से भी प्रभावित होती हैं इसीलिए पश्चिमी हिन्दी पंजाबी तथा पहाड़ी बोलियों से प्रभावित हुई है और पूर्वी हिन्दी मराठी सीमा से जुड़ी होने के कारण उससे प्रभावित हुई।

इन दोनों में मूलभूत अंतर इस प्रकार है :–

1. ध्वनि की दृष्टि से पूर्वी हिन्दी अ का उच्चारण ओ के निकट होता है। अर्थात् उसका उच्चारण संवृत होता है जबकि पश्चिमी हिन्दी में इसका उच्चारण विवृत होता है।

2. पूर्वी हिन्दी में इ और उ का उच्चारण पश्चिमी हिन्दी की तुलना में अधिक हस्व है।

3. पश्चिमी हिन्दी जिन शब्दों के प्रारंभ य अथवा व आता है, पूर्वी हिन्दी में उनके स्थान पर क्रमशः इ और उ आता है। जैसे :– यहां–इहां, वहां–उहां

4. पश्चिमी हिन्दी में ल की ध्वनि पूर्वी हिन्दी में र बन जाती है। जैसे :– हल–हर, फल–फर, इसके साथ ही ड़ ध्वनि र बन जाती है। जैसे :– तोड़ना–तोरना।

5. पश्चिमी हिन्दी में संज्ञा का मूल रूप प्रायः एक ही रहता है। जबकि पूर्वी हिन्दी में इसके तीन रूप हो जाते हैं। 1. सामान्य 2. दीर्घ 3. दीर्घतर

जैसे :– घोड़ा – घोड़वा – घोड़वना

बेटा – बेटवा – बेटवना

6. पूर्वी हिन्दी में किन्ही–किन्ही शब्दों के अंत में अइया और अउवा प्रत्यय आते हैं।

कान्हा – कन्हैया, पुरवा – पुरवैया।

7. पश्चिमी हिन्दी में खासकर ब्रज भाषा में चलनों और चलिवो क्रिया का प्रयोग होता है जबकि पूर्वी हिन्दी में इन दोनों के स्थान पर ब लग जाता है। चलब और देखब क्रिया का प्रयोग होता है।

इन दोनों भाषाओं में कुछ समानता भी पाई जाती हैं जो इस प्रकार है :–

1. दोनों बोलियों में मूर्धन्य ष का लोप हो गया है।

2. दोनों में ही खासकर ब्रज और हरियाणवी व पूर्वी हिन्दी में केवल तालव्य श के स्थान पर दन्तय स का प्रयोग किया जाता है।

3. दोनों ही भाषाओं में अनुनासिकता का आगमन हो गया है। जैसे :– संबोधन में बच्चों, स्त्रियों आदि।

4. दोनों में कहीं–कहीं लिंग भेद की अस्पष्टता दिखाई पड़ती है। पूर्वी हिन्दी यह बात विशेष रूप से पाई जाती है। जैसे :– पूर्वी हिन्दी में लरिकवा जात बा, लरिकियाजात बा।

इस प्रकार पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी की बोलियों में कुछ वातावरण और ध्वनि संबंधी अंतर है और बहुत कुछ बातें दोनों में समान है।

1.3 सारांश :–

हिंदी भाषा के उपभाषा वर्ग तथा उनके अन्तर्गत व्यवहृत होने वाली बोलियों व भाषा की जानकारी प्राप्त की है। सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृम से अपभ्रंश अपभ्रंश से अवहट्ट तक होती हुई हिंदी प्राचीन एवं प्रारंभिक हिंदी तक आई। आधुनिक काल तक आते–आते हिंदी प्रभावी हुई और खड़ी बोली का प्रसार पद्य और गद्य में होने लगा। संस्कृत से आंरभ होकर पालि–प्राकृत से गुजरती हुई अपभ्रंश और फिर हिंदी तक भाषा का विस्तार विकास की सीमाओं का स्पर्श करता हुआ निंरतर आगे बढता हैं। हिंदी भाषा की गणना भी आर्य भाषा के भीतर की जाती है।

1.4 संकेत शब्द :–

हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, माध्यम भाषा, प्राचीन हिंदी, माध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी।

1.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न :–

प्रश्न 1– हिंदी भाषा के विकास क्रम को विस्तार से चर्चा करे।

प्रश्न 2– आधुनिक हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है। स्पष्ट करे।

प्रश्न 3– हिंदी –भाषा का भौगोलिक क्षेत्र पर संक्षिप्त लेख लिखते हुए डॉ.ग्रियर्सन के वर्गीकरण को स्पष्ट करे।

प्रश्न 4– डॉ सुनीति कुमार चटर्जी का वर्गीकरण ग्रियर्सन के वर्गीकरण से भिन्न है। स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 5– निम्न पर टिप्पणी करे।

क– हिंदी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र।

ख – राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर।

1.6 संदर्भ सामग्री :–

1. भाषा और भाषिकी, देवीशंकर द्विवेदी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1993
2. भाषा विज्ञान की भूमिका, देवेन्द्रनाथ शर्मा, राधाकृष्ण, 1989
3. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, 1997
4. मानक हिन्दी का संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ओमप्रकाश भारद्वाज, आर्यबुक डिपो, दिल्ली।
5. भाषाविज्ञान और मानक हिन्दी, नरेश मिश्र, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, 1993
6. आधुनिक भाषाविज्ञान, कृपालकर सिंह एवं चतुर्भुज सहाय, नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली, 1997
7. आधुनिक भाषाविज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1996
8. भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र, कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1997
9. हिन्दी भाषा : उद्‌गम और विकास, उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, इलाहाबाद, 1997
10. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, दिल्ली, 1991
11. हिन्दी : उद्‌भव और विकास, हरदेव बाहरी किताब महल, इलाहाबाद, 1965
12. हिन्दी भाषा का विकास, देवेन्द्रनाथ शर्मा एवं रामदेव त्रिपाठी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1971
13. हिन्दी भाषा : रूप विचार, सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण', चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, 1962
14. देवनागरी, देवीशंकर द्विवेदी, प्रशात प्रकाशन, कुरुक्षेत्र 1990
15. देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वर्तनी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1976
16. भाषाविज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा, द्वारिकाप्रसाद सक्सेना, मीनाक्षी प्रकाशन दिल्ली, 1972
17. भाषा शिक्षण, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रकाशन, दिल्ली, 1981
18. भाषा और भाषाविज्ञान, नरेश मिश्र, निर्मल पब्लिकेशन्स दिल्ली 2001

19. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, रामकिशोर शर्मा, लोकमारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998
20. अनुवाद विज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002
21. अनुवाद विज्ञान और सम्प्रेषण, हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, 1984
22. अनुवाद विज्ञान और आलोचना की नयी भूमिका रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1980

हिंदी विज्ञान और हिंदी भाषा	
एम. ए. हिंदी	कोर्स कोड़ : एम. ए. – 101
समग्री संकलन एवं लेखन – डॉ. राजपाल सहायक प्रो0 हिंदी	विश्लेषक –
खंड–ख	अध्याय – 2

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 विषय प्रस्तुति

2.3 सारांश

2.4 संकेत शब्द

2.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न

2.6 संदर्भ सामग्री

2.0 उद्देश्य :–

आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिसार के दूरस्थ शिखा निदेशलय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की संरचना से संबंधित पाठ्यक्रम की इकाइयों का अध्ययन करने जा रहे है। द्वितीय खंड क हिंदी की उपभाषाएं–पश्चिमी हिंदी से संबंधित से है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- हिंदी की बोलियों का समान्य परिचाय प्राप्त कर सकेंगे।
- बोलियों की रूपगत तथा ध्वनिगत विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।
- हिंदी की प्रमुख बोलियो के भौगोलिक क्षेत्र, इनके बोलने वालों की संख्या आदि का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना :–

भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा क्षेत्र को जानेवाले भू–भाग के अंतर्गत कई बोलियों को बोलने वाले लोग रहते है। एक दृष्टि से विचार करें तो इस बोली बहुलता के कारण भी हिंदी अपना क्षेत्र विस्तार पाया है। विषय भाषा और बोलियों से जुड़ा है। भाषा जो मनुष्य संचार के लिए प्रयोग करता है और बोलियों जो उसके प्रतिदिन के व्यवहार में शामिल होती है। भाषा और बोलियों का अभिन्न और अटूट रिश्ता है। इस पाठ में भाषा एवं बोलियों के हर पहलू पर चर्चा की जा रही है, ताकि सरलता और सहजता से पाठ के भाव तक पहुचा जा सके। हिंदी भाषा के अंतर्गत इन बोलियो की भाषिक तथा साहित्यिक विशेषताएं भी सुरक्षित है।

2.2 विषय प्रस्तुति :–

2.2.1. ब्रज भाषा :–

ब्रज का अर्थ है पशुओं या गउओं का समूह या चरागाहा। कहीं–कहीं ब्रज शब्द बाड़े के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बाद में पशु–पालन की प्रधानता के कारण आगरा, मथुरा, वृंदावन के आस–पास का क्षेत्र ब्रज कहा जाने लगा और इसकी बोली ब्रज कहीं जाने लगी।

यह भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर (राजस्थान) मैनपुरी, एटा (उत्तरप्रदेश) बरेली और उसके आस–पास के क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, की ब्रजभाषा मानक ब्रज भाषा मानी जाती है। यह पश्चिमी हिन्दी की प्रधान भाषा है और शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है इसकी मुख्य उपबोलियां निम्नलिखित हैं :–

1. माधुरी, डांगी, ढोलपुरी आदि है।

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल से लेकर रीतिकाल तक और आधुनिक काल के प्रारंभ तक इसका बहुत ही साहित्यिक महत्व रहा है। सूर, तुलसी, नंदराम, रहीम, रसखान, बिहारी तथा आधुनिक काल में जगन्नाथ द्वारा रत्नाकर और रमाशंकर शुक्ल रसाल आदि इस भाषा के प्रमुख कवि है।

ब्रज की विशेषताएं :–

1. ड़ की जगह र ध्वनि, जैसे :– लड़का– लरिका

2. ओकारांत क्रिया का प्रयोग, जैसे :– खायो, पायो, गयो

3. ण का न हो जाता है। जैसे :– प्राण–यान, बाण–बान

4. ह ध्वनि अल्पप्राण हो जाती है, जैसे :– साहूकार–साउकार बहू–बउ

5. पुल्लिंग, एकवचन शब्दों के अंत में उ की मात्रा स्त्रीलिंग एकवचन के अंत में इ की मात्रा होती है।

कालि –कल

कल के लिए – काल

दूर शब्द के लिए – दूरि

6. ब्रजभाषा में परसर्गो का प्रयोग सामान्य रूप से अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही मिलता है।

जैसे :– कर्ता में – ने, नै

कर्म में – कू, कूं, को, को

करण अपादान – ते, तं, तै, सू, सूं इत्यादि।

अधिकरण (में पर) – में, महं, महिं, माही।

7. स्त्रीलिंग के लिए जो परसर्ग लाए जाते है वो है – ई, इन, आनी और आइन शब्द का प्रयोग किया जाता है।

शेरनी, जेठानी

8. परिभाषा में सर्वनाम इस प्रकार है :–

उत्तर पुरूष :– मैं, हौ, मोहि, मुझकौ, मोको

मध्यम पुरूष :– तू, तोहि, तोको

प्रथम पुरूष :– वह, वा, वे, वै इत्यादि।

9. ब्रजभाषा के विशेषण प्रायः खड़ी बोली की तरह ही होते हैं।

10. वर्तमान काल की सहायक क्रिया :– हौ, है, भविष्यत काल की क्रिया के लिए –ग, ह का प्रयोग किया जाता है।

भूतकाल की क्रिया के लिए – हते, हुते, हुतो, हुती।

2.2.2 खड़ी बोली :–

1. साहित्यिक हिन्दी खड़ी बोली के संदर्भ के अर्थ में

2. आगरा, मेरठ और दिल्ली के आस–पास की बोली के रूप में भाषा विज्ञान में खड़ी बोली का प्रयोग इसी लोक बोली के रूप में किया जा रहा है।

1. नामकरण :– कुछ विद्वान इसे खरी अर्थात शुद्ध बोली के अर्थ में ग्रहण करते हैं। जब साहित्यिक हिन्दी का प्रयोग किया जाने लगा। तब उसमें से अरबी, फारसी के शब्दों को निकाल दिया गया तब इसे खरी बोली कहने लगे जो बाद में खड़ी बोली हो गई।

कुछ विद्वान खड़ी बोली अर्थात सीधी बोली के अर्थ में ब्रज और अवधी को भी खड़ी बोली में समेट लिया।

कांताप्रसाद गुरू का मानना है कि खड़ी का अर्थ कर्कश ब्रज भाषा की तुलना में यह बोली कर्कश है। इसलिए इसे खड़ी बोली कहा गया है। किशोरी लाल वाजपेयी के अनुसार यह बोली आकारान्त होने के कारण खड़ी बोली कही गई और खड़ी पाई बोली का नाम दिया गया।

गिलक्राइस्ट :– यह गंवारू भाषा थी बाद में इसको साहित्यिक रूप देकर शुद्ध रूप दिया गया इसीलिए इसको खड़ी बोली कहते हैं।

2. उद्‌भव :– खड़ी बोली का उद्‌भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुज्जफर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर तथा दिल्ली अम्बाला के पूर्व भाग और हिमाचल के कलासिया से मिली जुली खड़ी बोली अत्याधिक सम्पन्न है, इसमें नाटक, लोक कथा और लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वर्तमान हिन्दी भाषा उर्दू, हिन्दूस्तानी और दक्खनी में सभी खड़ी बोलियों पर आधारित हैं।

खड़ी बोली की विशेषताएं :–

1. ये भाषा मुख्य रूप से आकारान्त प्रधान है जबकि पूर्वी हिन्दी अकारांत प्रधान है और ब्रज भाषा आकारांत प्रधान है।

2. खड़ी बोली में ऐ, औ का उच्चारण इतना संवृत होता है, ये क्रमशः ए और ओ सुनाई देते हैं।

3. इसक उच्चारण भी खड़ेपन में होता है जिससे कभी–कभी शब्द के प्रारंभ का स्वर लुप्त हो जाता है, जैसेः– इकट्‌ठा – कट्‌ठा, अनाज –नाज।

4. कभी–कभी महाप्राण ध्वनियां अल्पप्राण के रूप में सुनाई देती है। जैसे :– धोखा–धोका, झुठ–झुठ।

5. न के स्थान प्राय णा का उच्चारण होता है, जैसे :–

मानस –माणस, लेनदेन – लेण–देण।

6. खड़ी बोली की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें मध्य के व्यंजन को संयुक्त कर दिया जाता है। जैसेः– बापू–बापु, बेटा – बेट्‌टा।

7. खडी बोली के कारकों में निम्नलिखित प्रसंग पाये जाते हैं।

1. कर्त्ता कारक – ने, ने

2. कर्म तथा सम्प्रदान – को, कूं

3. करण तथा अपादान – ते, से

4. संबंध कारक – का, के, की

5. अधिकरण कारक – ये

उच्चारण व ध्वनि भेद के कारण कुछ शब्द बदल जाते हैं, जैसे :– जब, तब को जिब, तिब कहते हैं। कहीं–कहीं क्रिया का खासकर वर्तमान काल में इस तरह पाया जाता है। मैं जाता हूं – मैं जाउं हूं। भूतकाल की क्रिया में या जोड़ देते हैं। जैसे वह चला – वह चलया। भविष्य काल की क्रिया में गा, गे, गी का प्रयोग होता है। कहीं–कहीं क्रिया अंतिम वर्ण हो जाता है। ये पंजाबी का प्रभाव है। जैसे :–

8. खड़ी बोली में स्त्री प्रत्यय इन के स्थान उन का प्रयोग होता है। जैसे :– मालिन–मालन, सापिन–सापन,

9. सर्वनामों के प्रयोग मैं के स्थान पर महारा, तम के स्थान पर थारा, कौन के स्थान पर कौन आदि रूप में मिलते हैं।

2.2.3 अवधी भाषा :–

अवधी भाषा – अर्धमागधी अपभ्रंश में तीन बोलिया निकलती हैं। जैसे :– अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।

1. अवधी :– इस बोली का केन्द्र अयोध्या है जिसे प्राचीन काल में अवध कहते हैं, उसी के नाम पर अवधी बना है। कुछ भाषा वैज्ञानिक इसे वैसवाड़ी अथवा कोसली भी कहते हैं।

अवधी बोली का क्षेत्र :– उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, गोड़ा, लहराइच, उन्नाव, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बारहबनकी, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, जौनपुर आदि जिलों में अवधी भाषा बोली जाती है।

अवधी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो आज से करीब 150 वर्ष पहले आजीविका की खोज में विदेश गये थे और वही बस गए। अब वे प्रवासी भारतीयों के रूप में फिजी, मैरिशस, त्रिनिनाद, सूरीनाम तथा दक्षिणी अफ्रीका में बसे हुए हैं

अवधी भाषा का साहित्य :– अवधी भाषा का साहित्य अत्यंत सम्पन्न है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस भी रचना इसी भाषा में की है जो भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का अनूठा ग्रंथ है। और पूरे विश्व में जिस पर चर्चा–परिचर्चा हुई है।

हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में प्रेमाक्षयी अथवा सूफी काव्य धारा के सभी कवि जो अवध के मुसलमान थे। इन सब ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी जिन में मुल्लादाउद, कुतुबन मंझन, नूर मोहम्मद शेख नबी तथा उसमान आदि प्रमुख है। अवधी आज भी एक जीवंत बोली है और आजकल इस पर खड़ी बोली का प्रभाव हो रहा है।

अवधी भाषा की विशेषताएं :– अवधी की सामान्य विशेषताएं इस प्रकार है :–

1. अवधि में हिन्दी की प्रायः सभी ध्वनियां मिलती हैं। तालव्य श मूर्धन्य ष और दन्त्य स इनमें से केवल स का शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे :–

शुक्ल – मुकुल

वर्षा – बरसा

2. ण के स्थान पर न बाण –बान

ड़ के स्थान पर र साड़ी– सारी

3. उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से इसमें संधि से व्यंजन का संयोग कर दिया जाता है। जैसे :–

बाप महतारी – बाम्महतारी

पंडित जी – पंडित जी

4. ऐ और औ की जगह अड़ और अड का प्रयोग किया जाता है जैसे :– पैसा – पइसा, औरत – अउरत।

5. अवधी भाषा में संज्ञा के प्रायः तीन रूप मिलते हैं। जैसे :– लरिका – लरिकवा – लरिकवना

हिन्दी में आए हुए विदेशी शब्दों को बोलने के लिए संज्ञा के आगे इया या आवा प्रत्यय लगा देते हैं, जैसे

स्कूल – स्कुलवा

किताब – कितबिया

6. पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय ई, इन, इय, आइन प्रत्यय लगा दिया जाता है।

लड़का – लड़की, माली–मालिन

बूढ़ा – बुढ़िया, नाई – नाइन

7. बहुवचन शब्द की रचना खड़ी बोली की तरह होती है।

सपना–सपने, बात–बातें।

कभी–कभी एकवचन वाले शब्द को सीधे बहुवचन वाले शब्द में प्रयोग कर दिया जाता है। लरिका खात रहिन

8. कारकों के परसर्ग प्रायः ब्रज भाषा से ही मिलते –जुलते हैं।

धर्म सम्प्रदान में को की जगह कां, हमको–हमका सम्प्रदान में बड़े–बड़े का प्रयोग जैसे :–

हमारे लिए – हमारे बदे

9. सर्वनाम के अंतर्गत उत्तम पुरूष एकवचन मैं के लिए हम का प्रयोग करते हैं।

मध्यम पुरुष के लिए –तू, तूं, तइं

अन्य पुरूष बहुवचन के लिए वे के स्थान पर वेइ।

10. वर्तमान काल की क्रिया के लिए बाहे,हए

जैसे :– वह जा रहा है – वइ जात बाहे

भविष्यकाल में – ब का प्रयोग

जाउंगा – जाब

आउंगा – आउब

11. आधुनिक अवधी में देखने के लिए तथा अन्य क्रियाओं के लिए खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है।

2.3 सारांश :–

भाषा से तात्पर्य केवल मनुष्य की भाषा से है, मानवेतर भाषा से नहीं। कुत्ता, घोड़ा, मोर, गाय, भैंस, कौआ, कोयल, चींटियां, मधुमक्खियां आदि जिन वाक्–संकतों का प्रयोंग करते है, उन सबकों भाषा के अन्तर्गत शामिल नहीं कर सकते। भाषा विज्ञान में भी भाषा का अर्थ केवल मनुष्यों के द्वारा ही उच्चारित की गई ध्वनि या ध्वनि संकेतों से है, जो प्रत्येक मनुष्यों एवं उनके समुदायों द्वारा भिन्न–भिन्न रूपों में प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी छोटे या सीमित क्षेत्र के लोगों

द्वारा आम बोलचाल एवं घरेलु कार्यो में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसलिए एक बोली के अन्तर्गत आने वाली उपबोलियों के लोग आपस की भाषा को आसानी से समझ लेते है। प्रत्येक क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं राजनैतिक उतार–चढ़ाव लोक–जीवन की रीति–रिवाज आदि की एक झलक बोलियों में पाई जाती है। इस दृष्टि से हिंदी की बोलियों को हमारे समचे भारत देश के लोक–जीवन का परिचायक भी कहा जा कसता है। हिंदी भाषा की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अस्मिता बनाए रखने में हिंदी की बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है।

2.4 संकेत शब्द :–

बेली, प्रादेशिक बोली, उपबोली, भाषा, उपभाषा, ध्वनि।

2.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न :–

प्रश्न 1– 'बोली' पर विचार करते हुए बोलियों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 2– प्रादेशि बोलियों का वर्णन करते हुए पश्चिमी हिंदी की बोलियों का वर्णन करे।

प्रश्न 3– भाषा और बोली में अंतर बताओ।

प्रश्न 4– पहाड़ी की बोलियों का उल्लेख करे।

प्रश्न 5– निम्न पर टिप्पणी करे।

क– बोलियों का वर्गीकरण

ख – अवधी

2.6 संदर्भ सामग्री :–

1. भाषा और भाषिकी, देवीशंकर द्विवेदी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1993
2. भाषा विज्ञान की भूमिका, देवेन्द्रनाथ शर्मा, राधाकृष्ण, 1989

3. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, 1997
4. मानक हिन्दी का संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ओमप्रकाश भारद्वाज, आर्यबुक डिपो, दिल्ली।
5. भाषाविज्ञान और मानक हिन्दी, नरेश मिश्र, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, 1993
6. आधुनिक भाषाविज्ञान, कृपालकर सिंह एवं चतुर्भुज सहाय, नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली, 1997
7. आधुनिक भाषाविज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1996
8. भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र, कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1997
9. हिन्दी भाषा : उद्गम और विकास, उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, इलाहाबाद, 1997
10. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, दिल्ली, 1991
11. हिन्दी : उद्भव और विकास, हरदेव बाहरी किताब महल, इलाहाबाद, 1965
12. हिन्दी भाषा का विकास, देवेन्द्रनाथ शर्मा एवं रामदेव त्रिपाठी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1971
13. हिन्दी भाषा : रूप विचार, सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण', चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, 1962
14. देवनागरी, देवीशंकर द्विवेदी, प्रशात प्रकाशन, कुरुक्षेत्र 1990
15. देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वर्तनी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1976
16. भाषाविज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा, द्वारिकाप्रसाद सक्सेना, मीनाक्षी प्रकाशन दिल्ली, 1972
17. भाषा शिक्षण, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रकाशन, दिल्ली, 1981
18. भाषा और भाषाविज्ञान, नरेश मिश्र, निर्मल पब्लिकेशन्स दिल्ली 2001
19. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, रामकिशोर शर्मा, लोकमारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998
20. अनुवाद विज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002
21. अनुवाद विज्ञान और सम्प्रेषण, हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, 1984
22. अनुवाद विज्ञान और आलोचना की नयी भूमिका रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1980

हिंदी विज्ञान और हिंदी भाषा	
एम. ए. हिंदी	कोर्स कोड़ : एम. ए. – 101
समग्री संकलन एवं लेखन – डॉ. राजपाल सहायक प्रो0 हिंदी	विश्लेषक –
खंड–ख	अध्याय – 3

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 विषय प्रस्तुति

3.3 सारांश

3.4 संकेत शब्द

3.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न

3.6 संदर्भ सामग्री

3.0 उद्देश्य :–

आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिसार के दूरस्थ शिक्षा निदेशलय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की संरचना से संबंधित पाठ्यक्रम की इकाइयों का अध्ययन करने जा रहे है। द्वितीय खंड क हिंदी की हिन्दी की शब्द रचना से संबंधित से है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- शब्द और शब्दविज्ञान की परिभाषा से परिचित हो सकेंगे।
- हिंदी शब्द–समूह के विभिन्न स्त्रोंतो का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- हिंदी में अपनी शब्दावली के अतिरिक्त (अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी) से बड़ी संख्या में शब्द आऐ है। उनसे परिचित हो सकेंगे।

3.1 प्रस्तावना :–

भाषावैज्ञानिक विश्लेषण में भाषा की शब्दावली स्तर का विश्लेषण महत्वपूर्ण होता है। शब्द, भाषा के संरचनात्मक अध्ययन में सबसे अधिक प्रयुक्त होनेवाली इकाई है। ध्वनियों के विभिन्न अर्थपूर्ण संयोजन से शब्द बनतें है और सार्थक होते है। भाषा को स्थाई रूप प्रदान करने में शब्द का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भाषा के शब्द–समूह या शब्द भंडार भी ऐसा एक पहलू है। जिसमें भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण आगे किया जा रहा है।

3.2 विषय प्रस्तुति :–

3.2.1 हिन्दी की शब्द रचनाः–

भाषा विज्ञान की दृष्टि भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। किन्तु उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है। इसी प्रकार सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, ध्वनि का सार्थक होना आवश्यक नहीं है। जैसेः– अ, क, ख, त, ट इत्यादि लेकिन जब यहीं ध्वनियां शब्द बन जाती हैं तो सार्थक हो जाती है। शब्द सार्थक हो जाने के बाद भी भाषा में प्रयोग की क्षमता तब तक नहीं रहती जब तक कि उनमें कारकीय प्रत्यय नहीं होते जैसे :– मोहन, विधालय, जाना ये सब शब्द हैं, लेकिन जब इन शब्दों में कारक के प्रत्यय जुड़ जाते हैं तब यह पद बन जाते हैं और इन्हीं पदों के योग वाक्य बनता है कि मोहन विद्यालय जाता है इसलिए संस्कृत भाषा के वैयाकरणों ने शब्द के दो भेद किए हैं – शब्द और पद। शब्द विभक्ति रहित होते हैं और पद विभक्ति सहित होते हैं।

हिन्दी की शब्द रचना या पद रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास आदि का बहुत बड़ा योगदान होता है, इस शब्द रचना में शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं और शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। प्रकृति के साथ जब उपसर्ग जोड़ दिए जाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होता है जैसे :– हार शब्द से पूर्व प्र जोड़ने से प्रहार बन जाता है और उसका अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है जो इस प्रकार है :– प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि आइ, नि, आधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप। जैसे :– प्रहार, आहार, दुर्गण, अवगुण हिन्दी में जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं ये तत्सम् उपसर्ग कहलाते हैं। जो उपसर्ग संस्कृत से आये हैं लेकिन हिन्दी में उन्हें अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल लिया है, वे तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं।

जैसे :– जिस प्रकार अव उपसर्ग हिन्दी में इसका तद्भव रूप भी प्रचलित है, जैसे – आंगुण

हिन्दी में अपने कुछ निजी उपसर्ग है, जैसे :–

अध – अधपका

भर – भरपेट, भरपूर

बिन – बिन चाहा

हिन्दी में कुछ विदेशी उपसर्ग पाये जाते हैं और वे अरबी और फारसी व अंग्रेजी के प्रभाव से आए हैं,

गैर – गैरकानूनी

बद – बदनाम, बेफिजूल, बेअदब

बा – बाअदब, बामुलाहिज

अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं।

जैसे :–

Pre - Prefix

Sub – Sub magistrate

Mid – Midtown, Midnight

प्रत्यय :– प्रत्यय के शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कार पैदा करते हैं। संस्कृत में इन प्रत्ययों के पांच भेद बताए गये हैं।

1. विभक्ति :– इस वर्ग में सुप् और तिड़् विभक्ति में आती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि के साथ सुप् विभक्तियां जुड़ती हैं। जैसे :– मोहन, तिड़् विभक्ति क्रिया शब्द बनाती है। जैसे :–

पठति पठत पठन्ति (संस्कृत)

पठ क्रिया – पढ़ता है

प्रत्ययों के दूसरे वर्ग में षिच् प्रत्यय सन् यड़् प्रत्यय संस्कृत भाषा में होते हैं जैसे :–

वसुदेव – वासुदेव

मरूत – मारूति

दशरथ – दाशरथि

नीति – नीतिवान

भाग्य – भाग्यवान

चौर्थ वर्ग में कृदंत प्रत्यय आते हैं जिनमें तव्यत्, अनीपर, वुमुन आदि प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय किया शब्द में जुड़ते हैं। जैसे :–

तव्यत् – गन्तव्य (गमधातु)

अनीपर – पठनीय, दर्शनीय

वुमुन – पठितुम, गन्तुम

संस्कृत भाषा में पांचवें वर्ग में स्वार्थिक प्रत्यय आते हैं। हिन्दी भाषा में तीन प्रकार के प्रत्यय पाये जाते हैं।

तत्सम परसर्ग – जो प्रत्यय संस्कृत से सीधे हिन्दी में आते हैं।

जैसे :– भवितव्य, गन्तव्य, दर्शनीय

तद्भव परसर्ग – जो प्रत्यय संस्कृत से हिन्दी में आकर हिन्दी की प्रकृति के अनुसार बदल गए अथवा जो देशज हैं, उन्हें तद्भव परसर्ग कहते हैं।

जैसे :– आन – उड़ान

आहल – घबराहट

आड़ी – खिलाड़ी

त – लागत, रगंत

विदेशी प्रत्यय – जो प्रत्यय, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए उन्हें विदेशी परसर्ग कहते हैं।

कार – दस्तकार, स्वर्णकार

गरी – कारीगरी

खोर – गोताखोर, आदमखोर, चुगलखोर

बाज – चालबाज, दगाबाज

एशन – गड़बड़ेसन

डम – किंगडम, गुरूड़म

मास्टर – टेलरमास्टर

पद और विकरण :–

विकरण उन शब्दांशों को कहते हैं जिनके योग से किसी शब्द या पद का न केवल रूप बदल जाता है बल्कि उनका अर्थ भी बदल जाता है। इन्हें अंतः प्रत्यय भी कहा जाता है।

दशरथ – दाशरथि

वसुदेव – वासुदेव

संस्कृत में चोरयति में चुर् धातु + य विकरण + ति हिन्दी में प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए वा विकरण लगता है।

टूटना – हटवाना।

समास – समास का अर्थ है – संक्षिप्त।

दो या दो से अधिक लंबे तथा अर्थवान पदों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे :–

घोड़ों की दौड़ – घुड़दौड़

हवन की सामग्री – हवन सामग्री

चार राहें जहां मिलती है – चौराहा।

समस्त पद – जब दो या दो से अधिक लंबे पदों को संक्षिप्त कर दिया जाता है तो उस संक्षिप्त किए हुए पद को समस्त पद कहते हैं, जैसे :– हवन सामग्री (समस्त पद)

समास मुख्य रूप से चार होते हैं

1. अव्ययीभाव समास 2. तत्पुरूष समास 3. द्वन्द्व समास 4. बहुब्रीहि समास,

तत्पुरूष समास के दो उपभेद होते हैं 1. कर्मधारय 2. नळ। इसके अतिरिक्त एक भेद और होता है जिसे द्विगु समास कहते हैं।

1. अव्यवीभाव समास :– जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, उसे अव्यवीभाव समास कहते हैं। जैसे :– यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार

2. तत्पुरूष समास :– जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरूष समास कहते हैं। जैसे :–

पाठशाला – पढ़ने/पढ़ाने के लिए शाला। तत्पुरूष समास में कर्मकारक से लेकर अधिकरण कारक तक के पदों का समास लिया जाता है।

3. द्वन्द्व समास :– जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वन्द्व समास कहते हैं जैसेः– माता–पिता – माता और पिता, सुख–दुःख – सुख और दुःख।

4. बहुब्रीहि समास :– जिस समास में पूर्व और उत्तर पद को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे :– दशानन– दश है आनन जिसके।

तत्पुरूष समास के उपभेद :–

1. कर्मधारय समास :– जिस समास में विशेष्य–विशेषण तथा उपमान और उपमेय पदों का आपस में समास किया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे :–

घनश्याम – घन अर्थात् बादल की तरह श्याम अर्थात सांवला

नीलाकमल – नील कमल

2. नण समास :– जिस समास में प्रथम पद निषेधार्थक होता है। उसे नळ समास कहते हैं। जैसे

अज्ञान – न ज्ञान, असंख्य – न संख्य

जहां निषेधार्थक न के बाद व्यंजन वर्ण आ जाता है। वहां न के स्थान पर अ हो जाता है। जब न के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए तो न के स्थान पर अन् हो जाता है। जैसे :– न अधिकार –अनाधिकार न अंग–अनंग

3. द्विगु समास :– जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे :–

अष्टाध्यायी – आठ अध्यायों का समूह

सप्ताह – सात दिनों का समूह।

समास की प्रक्रिया द्वारा हिन्दी, संस्कृत आदि भाषाओं में शब्द रचना की जाती है। हिन्दी, संस्कृत भाषा के उद्भूत हुई है। संस्कृत भाषा में लंबे–लंबे समस्त पद पाए जाते हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा संश्लिष्ट–प्रश्लिष्ट के बीच की भाषा है। लेकिन संस्कृत से पालि, प्राकृत और अपभ्रंश का सफर तय करती हुई हिन्दी भाषा, गुजराती पंजाबी, आदि आधुनिक आर्य भाषाएं अश्लिष्ट, अयोग्यात्मक भाषाएं हैं। इसलिए इनमें समास पद्धति बहुत कम हो गई है।

3.2.2 हिन्दी रूप रचना और वैयाकरणीक कोटियां :–

मूल शब्द को प्रकृति कहते हैं और उनसे जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं इन्हीं दोनों के योग से रूप रचना होती है और रूप ही जब परस्पर साकांक्ष होकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें पद कहा जाता है। इस रूप रचना या पद रचना में प्रकृति के साथ प्रत्यय और विभक्ति का योग होता है। जैसे :– मुरादाबाद नगर बर्तनों की बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इस वाक्य में बनावट शब्द में बनाना प्रकृति है और वट आवट प्रत्यय है। के लिए विभक्ति है। इसी तरह तैराक शब्द में तैरना प्रकृति है आक प्रत्यय है। प्रकृति और प्रत्यय में प्रकृति का महत्व अधिक है। प्रकति ही अर्थवान होती है। यही प्रकृति विकरित हो जाने पर शब्द अथवा पद बन जाती है। इस रूप रचना में कुछ वैयाकरणिक कोटियां विशेष महत्वपूर्ण होती है। और ये प्रायः संबंध तत्वों के रूप में काम करती हैं। वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य की रचना हर भाषा में प्रायः भिन्न होती है। हमारी हिन्दी भाषा में कर्तृवाच्य वाक्य में कर्ता के लिंग, पुरूष और वचन के अनुसार क्रिया का निर्धारण किया जाता है। जैसे :– लड़क खेलता है। लड़की खेलती है। लड़के खेलते हैं। लड़कियां खेलती है। किसी भी भाषा की वाक्य रचना में व्याकरण की विशेष धाराओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इन्हें ही व्याकरणीक कोटियां कहते हैं। इन कोटियों में लिंग,वचन,कारक, पुरूष, काल, वाच्य आदि का समावेश होता है।

लिंग :– लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह अर्थात् जिससे किसी चीज को पहचाना जाए। ये दो प्रकार के होते हैं।

1. प्राकृतिक या लौकिक   2. व्याकरणीक।

1. प्राकृतिक लिंग :–

स्त्री–पुरूष, लड़का–लड़की इत्यादि। इनमें कुछ पुरूषवाचक होते हैं और दूसरे स्त्रीवाचक होते हैं।

2. व्याकरणीक लिंग के उदाहरण में हम कुछ शब्दों को ले सकते हैं। जैसे :– ग्रंथ–पुस्तक, कान–नाक, पेट–पीठ इत्यादि। अर्थ की दृष्टि से ग्रंथ और पुस्तक में कोई अंतर नहीं है। फिर भी ग्रंथ एक पुल्लिंग है और दूसरा पुस्तक स्त्रीलिंग। इसी प्रकार कान पुल्लिंग है और नाक स्त्रीलिंग। यही व्याकरणीक लिंग है। व्याकरण में कभी–कभी प्राकृतिक लिंग का उल्लघंन भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक लिंग की दृष्टि से पत्नीवाचक शब्दों को सदा स्त्रीलिंग में होना चाहिए लेकिन संस्कृत भाषा में पत्नी शब्द का पर्यायवाची दार शब्द पुल्लिंग है। भार्या शब्द स्त्रीलिंग है। कलत्र शब्द नंपुसंकलिंग है।

भाषा की शुद्धता की दृष्टि व्याकरणिक लिंग को महत्व देती है, प्राकृतिक लिंग को नहीं। इसी तरह संस्कृत में अग्नि और आत्मा शब्द पुल्लिंग है। लेकिन हिन्दी में यही शब्द आकर स्त्रीलिंग बन गए है। वास्तव में व्याकरणिक लिंग का कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिखता।

सभी भाषाओं में लिंग की संख्या एक जैसी नहीं है। संस्कृत में तीन लिंग हैं :–पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अंग्रेजी में चार लिंग (जेन्डर) होते हैं :–

1. Masculine Gender   अर्थात पुल्लिंग

2. Feminine Gender   अर्थात स्त्रीलिंग

3. Common Gender   अर्थात सामान्य लिंग

4. Nauter Gender अर्थात नपुंसकलिंग

हिन्दी में केवल दो ही लिंग है :– स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वास्तव में व्याकरण संबंधी लिंग विधान निर्जीव और सजीव वस्तुओं के आधार पर तथा पुरूष और स्त्री के आधार पर निर्भर नहीं करता बल्कि शब्द की व्युत्पत्ति अर्थात प्रकृति–प्रत्यय के संयोग पर आधारित होता है। जो शब्द पुरूषत्व का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग हैं। जैसे :– पिता, लड़का, घोड़ा, पहाड़ इत्यादि। इसी तरह जो सजीव या निर्जीव शब्द स्त्रीत्व का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे :– माता, बहन, गाय, पहाड़ी आदि।

पदों की रचना में लिंग का बहुत महत्व है। अन्य भाषाओं में लिंग का प्रभाव, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि तक ही सीमित रहता है लेकिन हिन्दी में लिंग, क्रिया को भी प्रभावित करता है। जैसे :– मोहन गाता है। देविका गाती है। अंग्रेजी में इसी वाक्य को mohan sings, Devika Sings को इस प्रकार बोल दिया जाता है।

भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं व्यावहारिक दृष्टि से भी लिंग की व्याकरणिक अन्विति सबसे बड़ी विशेषता है। हिन्दी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायः आ,ई, इन, आनी आदि प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे :– अज (बकरा) अजा, लड़का–लड़की (ई) जमादार–जाददारिन (इन), (आनी)–देवर–देवरानी ये सब प्रयोग किये जाते हैं, कही–कही इन प्रत्यययों से काम नहीं चलता, तब पुल्लिग शब्दों में ही नर और मादा शब्द जोड़ककर के लिंग बोध किया जाता है। जैसेः–नरकौवा, मादाकौवा, अग्रेंजी में भी ऐसे शब्दों के लिए पुल्लिंगग में (He) ही और स्त्रीलिंग में (she) का प्रयोग करना पड़ताा है, जैसेः–

He goat and she goat इसी तरह धोबी के लिए भी प्रयोग किया जाता है,

सर्वनामः– सर्वनाम शब्दद संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते है और लिंग के संदर्भ इनका प्रयोग प्रायः पुल्लिग और स्त्रीलिंग में एक जैसा होता है।

विशेषणः– संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताा बताने वाले शब्द विशेषणा कहे जाते है। लिंगग के संबंध्धा यया संदर्भ में विशेषण का रूप संस्कृत में विशेष्य के अनुसार विशेषण होता है। जैसेः– सुन्दरःपुरूषः, सुन्दरीःस्त्रीः, सुन्दरम् पुष्पम्ः, अग्रेंजी में विशेषण प्रायः: एक जैसाा बना रहता है। उसमें विशेष्य के अनुसार नहीं बदलता। जैसेः–beautiful boy- beautiful girl, nice man-nice woman. हिन्दी भाषाा में आकारान्त विशेषण ज्यों के त्यों बने रहते है। उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसा रूप बना रहता है।

क्रिया रूपः– लिंग के अनुसार हिंदी में क्रिया का रूप सर्वथा बदल जाता है। जैसेः– जाता है, जाती है, गया है, गयी है, जाएगा–जाएगी, प्रायः सभीी भाषाओं में ऐसी बात नही पाई जाती, अग्रेजी में स्त्रीलिंगग की और पुल्लिंगग की क्रियाा एक जैसी होती है। He goes-she goes she went-He went,He will go-she will go संस्कृत भाषा में भी लिंग के साथ क्रिया में भी परिवर्तन नहीं होता, जैसेः–

रामः पठति–सीताः पठति

रामः अपठत्–सीताः अपठत्

रामः पठिष्यति–सीताः पठिष्यति।

वचनः– पदों की रचना में वचनों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वचन, शब्द या पदों की संख्या में भेद को व्यक्त करता है। लिंग की तुलना में वचन अधिक वास्तविक भी है और व्यावहारिक भी लिंग का कोई निश्चित और तर्कसंगत आधार नहीं है। लेकिनन वचन का आधार संख्या भेद है जो तार्किक भी है और व्यावहाारिक भी, संस्कृत भाषा में तथा अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में तीन वचन होते है–एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं हिंदी, पंजाबी, गुजराती आदिद मेें दो ही वचन है– एकवचचन और बहुवचन। हिंदी में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिए 'ए', ऐ, ओ, या आदि प्रत्यय या मात्राएं लगाई जाती है। जैसे–लड़का–लड़के, माता–माताएं, घोड़ा–घोडों, लड़की–लडकियां कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एकवचन और बहुवचन रूप एक जैसा होता है। क्रिया के आधार पर उनका एकवचन और

बहुवचन होना सिद्ध होता है। जैसेः– छात्र पढ़ता है–छात्र पढ़ते है, पुरूष आते है, अध्यापक, हाथी एकवचनन भी है और बहुवचन भी, सम्मान

हिंदी में कई बार एकवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग आदर और समान का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता हैं। जैसेः–मेरे पिताजी आ रहे हैं, महात्मा गांधी कहा करते थे और कही–कही बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसेःः– कुत्ता स्वाभिभक्त पशु होता है। गाय मां की तरह होती है।

सर्वनाम के संदर्भ्र में वचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसेः– वह–वे, तुम–तुम लोग, मैं–हम,

विशेषण शब्दों के प्रयोग में भी वचन को भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसेः–अच्छा आदमी अच्छे आदमी, इसी तरह से क्रिया रूपों के संदर्भ में वचन की व्याकरणिक भूमिका होती है, एकवचन और बहुवचन में उसके रूप बदल जाते है जाता है–जाते है, गया है–गये है, जाना है–जायेगाा।

इसी प्रकार पुरूष एक व्याकरणिक कोटि है, पदों की रचनाा में भी उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये तीन प्रकार के होते हैः– प्रथम पुरूष, मध्यम पुरूष, उत्तम पुरूष बात को कहने वाला–उत्तम पुरूष सुनने वाला मध्यम पुरूष और जिसके बाारे में बात की जाए– प्रथम पुरूष या अन्य पुरूष कहते है।

प्रथम पुरूष– यह, वह, राम, सीता इत्यादि

मध्यम पुरूष– तुम, तुमलोग, आप, आपलोग

उत्तम पुरूष– मैं, हम आदि।

मध्यम पुरूषा और उत्तम पुरूष सर्वनाम होते है और प्रथम पुरूष सर्वनाम और संज्ञा दोनों हो सकते है। पुरूषा क्रियाओं के रूपों को बदल देते है। संस्कृत में इसीलिए एक ही क्रिया के नौ रूप होते हैं जैसेः–

प्रथम पुरूष	पठति	पठत	पठन्ति
मध्यम पुरूष	पठसि	पठथः	पठथ
उत्तम पुरूष	पठामि	पठावः	पठाम5ः

इसी तरह हिंदी में – मैं जाता हूं, वह जाता है, तुम जाते हो, इत्यादि सब आते है

इस प्रकार भाषा की पद रचना में व्याकरणिक कोटियों का अत्यंत महत्व है।

3.2.3 देवनागरी लिपि : विशेषता और मानकीकरण :–

देवनागरी हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि है जब हम लिपियों के क्रमिक विकास पर ध्यान देते है तो प्राचीनतमकाल से लेकर अब तक की विकास की दृष्टि से निम्नलिखित लिपियाँ उपलब्ध होती है।

1. चित्रालिपि 2. सूत्र लिपि 3. प्रतीकात्मक लिपि 4. भावमूलक लिपि 5. भावध्वनिमूलक लिपि 6. ध्वनिमूलक लिपि

प्राचीन भारत में मुख्य रूप से तीन लिपियाँ प्रचलित रही है। सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ब्राहमी लिपि दो शाखाओं में विभक्त हो गई। उत्तरी शाखा और दक्षिणी शाखा। उत्तरी शाखा के अंतर्गत चार लिपियाँ सम्मिलित है।

1. गुप्त लिपि 2. कुटिल लिपि 3. शारदा लिपि 4. नागरी लिपि

दक्षिणी शाखा के अंतर्गत छह लिपियाँ सम्मिलित है।

1. तमिल लिपि 2. कलिंग लिपि 3. तेलुगु और कन्नड़ 4. मध्यदेशी लिपि 5.शून्य लिपि 6. पश्चिमी लिपि

देवनागरी लिपि का विकास ब्राहमी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ। नामकरण का विचारः इस संबंध में विद्वानों ने अपने–अपने मत प्रकट किए हैं किंतु अभी निश्चित रूप से किसी एकमत को मान्यता नहीं मिली इन मतों का विचार इस प्रकार हैः–

1. कुछ विद्वान नागर ब्राह्मणों से संबंधित होने के कारण इसे देवनागरी कहते है किन्तु इस कथन में कोई ऐतिहासिक प्रमाण या संगति नहीं मिलती।

2. कुछ विचारक मानते है कि संस्कृत भाषा का नाम देववाणी है और संस्कृत इसी लिपि में लिखी जाती रही है इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। इस मत से इसी लिपि में लिखी जाती रही है इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। इस मत से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इसमें देव शब्द के उचितय परतों प्रकाश पड़ता है। लेकिन नागरी शब्द फिर भी अभुजा बना रहता है।

3. कुछ विद्वानों की अवधारणा है कि इस लिपि का प्रयोग नगर के पढ़े लिखे लोगों द्वारा होता है। इसलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। बाद में अत्यन्त आदर देने के लिए देव शब्द विशेषण के रूप में और जुड़ गया।

कुछ विद्वानों की धारणा है कि प्राचीन काल में काशी (वाराणसी) को देवनगर कहा जाता था और काशी प्राचीन काल से ही विद्या का केंद्र रही। वहाँ इस लिपि का विशेष प्रचलन था। इसलिए इसे देवनागरी कहा जाने लगा।

कुछ प्रबद्ध भाषा वैज्ञानिक यह मानते है कि देवताओं की मूर्तियाँ बनने से पूर्व उनकी पूजा–उपासना साकेंतिक चिह्नों द्वारा हुआ करती थीं और कुछ यंत्र त्रिकोण अथवा चक्र के आकार के बने होते थे। जिन्हें देवनगर कहा जाता था उन यंत्रों के बीच में मंत्र लिखे जाते थे उन्हीं चिह्नों को अक्षर माना जाने लगा। इस आधार पर देवनगर में लिखित होने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा।

एक ओर मत के अनुसार प्राचीन समय को पाटिलपुत्र को 'नागर' कहा जाता था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को 'देव' कहकर पुकारा जाता था उन्हीं के नाम पर इस लिपि को देवनारी को कहा जाने लगा।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते है कि इनमें से कोई भी मत निश्चित रूप से देवनागरी नाम के प्रामणिक कारणों का स्टीक उत्तर नहीं है। इसलिए डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, डॉ. बाबूराम सवसेना आदि भाषा वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अभी अब तक देवनागरी शब्द की व्युत्पति निश्चित रूप से नहीं हो सकती।

देवनागरी लिपि का विकास :–

देवनागरी लिपि का विकास ईसा की सातवीं शताब्दी आरम्भ हो गया था। इसके सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभ के एक शिलालेख में मिलता है जयभट का समय 700 से 800 ई0 माना जाता है 8 वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी इस लिपि का प्रचार था और 9 वीं शताब्दी में बड़ौदा के राजा ध्रुवराज ने अपने राज्यादेशों में इसी लिपि का प्रयोग किया था। विजयनगर और कोंकण के राज्यों में भी देवनागरी लिपि ही प्रचलित थी। इस आधार पर कुछ विद्वान यह मानते है कि देवनागरी का विकास सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ और इसके बाद इसका प्रचलन उत्तर भारत में हुआ।

दक्षिण भारत में इसे नन्दि नागरी भी कहा जा सकता है और उसमें संस्कृत के ग्रन्थ लिखे जाते रहे। महाराष्ट्र में इस लिपि को बालबोध के रूप में पुकारा जाता रहा है। इसी बालबोध लिपि के कुछ वर्ण देवनागरी लिपि में बहुत दिनों से स्वीकार कर लिये गये है। उत्तर भारत में ईसा आठवीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी तक मेवाड़ के गुहेल वंशी राजा, मारवाड़ के परिहार राजा, मध्यप्रदेश के हैहय वंशी राजा, कन्नौज के गहरवार, गुजरात के सोलंकी राजाओं में यह लिपि व्यापक रूप से लोकप्रिय रही। इन राजाओं के शिलालेंखों और दान पात्रों में देवनागरी लिपि के प्रमाण मिलते है।

10 वीं शताब्दी में उत्तरी भारत की देवनागरी लिपि पर कुटिल लिपि का प्रभाव भी देखा जा सकता है जैसेः– (द्य) उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि के अ,ध, भ, को क्रमशः द्य, म के रूप में लिखा जाता रहा।

ग्यारहवीं शताब्दी में इन वर्णों की दोनों शिरों रेखाए मिलकर एक हो गई, और बारहवीं शताब्दी में आकर देवनागरी लिपि अधिक स्पष्ट बन गई वास्तव में बारहवीं शताब्दी वाली देवनागरी लिपि ही वास्तविक देवनागरी लिपि मानी गई है। आधुनिक युग में इस लिपि में अनेक सुधार किये गये। ये सुधार वर्णो और शिरों रेखाओं के रूप में तथा बनावट के रूप में भी किये गये। आज यह लिपि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की सर्वमान्य लिपि है। पहले इस लिपि के अक्षर चकोर और शिरों रेखा से रहित होते थे लेकिन धीरे–धीरे उन्हे वर्तमान रू॰ दिया गया है

विदेशी भाषा उर्दू के प्रभाव से कुछ ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में आई जिन्हें जिहामूलीप ध्वनियाँ कहते है। जैसेः– कुतुब, कातिब, गजल आदि।

मराठी लिपि के प्रभाव से इस लिपि में कुछ नये चिह्न आये। जैसेः– 'ञ' के स्थान पर 'अ',।

बंगला लिपि के प्रभाव से देवनागरी लिपि के चकोर वर्ण गोलाकार हो गये है। गुजराती के प्रभाव से कुछ लोग देवनारी लिपि में बिना शिरों रेखा के वर्ण लिखे जाने लगे।

अग्रेजी भाषा के प्रभाव से देवनागरी लिपि में भी अल्पविराम(,), अर्धविराम() प्रश्नवाचक चिह्न (?), विस्मयादिबोधक(!) उद्धरण चिह्न ("......") संयोजक चिह्न (–) आदि का प्रयोग होने लगा। कुछ लोग हिंदी के पूर्ण विरामकी जगह अंग्रेजी की तरह डॉट लगाने लगे है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों को देवनारीमें सम्मिलित किया गया है और उनके लिए कुछ नये चिह्न बनाये गये है। जैसेः– 'आ' और 'ओ' की बीच की ध्वनि के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है PHD शैक्षणिक के लिए डॉ. उपाध्याय और फिजीकल के डॉ. शब्द का प्रयोग होता है कॉलेज, ऑफिस इत्यादि।

देवनागरी लिपि की विशेषताओं अथवा वैज्ञानिकता :–

देवनागरी लिपि प्राचीनतम काल से ही भारतीय आर्य भाषाओं की लिपि चली आ रही है। हमारी ही नहीं विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत का महान साहित्य इसी लिपि में लिखा हुआ है यही नहीं हिंदी की समस्त बोलियाँ तथा नेपाली मराठी आदि इसी लिपि में लिखी जाती है स्वतंत्र भारत का संविधान हिंदी को राष्ट्र भाषा का महत्व प्रदान करता है और हमारे संविधान ने इसे भारत की राष्ट्रीय लिपि धोषित की है।

कोई भी लिपि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तब मानी जाती है जब उसमें उसे भाषा की समस्त ध्वनियों को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है और उसमें जो वर्ण या अक्षर उच्चरित हो उनका ध्वनियों से संबंध हो। भाव यह है कि जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए। लिपि में वर्णों या लेखियों के स्वरूप के संबंध में भ्रांति न हो। इसमें भी आगे बढ़कर लिपि की विशेषता यह होती है कि उसके स्वर और व्यंजन स्पष्ट हो। स्वरों में भी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में स्पष्ट भेद हो तथा स्वर और स्वर का मेंल व्यंजन और व्यंजन का मेल स्वर और व्यंजन का स्वर का मेल स्पष्ट य◌ में होना चाहिए । इन सब से बढकर किसी लिपि की वैज्ञानिकता की परख इस आधार पर की जाती है कि वक्ता जितनी ध्वनियाँ देखे अर्थात् जिह्वा, कर्ण, हस्त और चक्षु इन चारों इन्द्रियों का पूर्ण सामंजस्य जिस लिपि में होता है वह लिपि अधिकतम वैज्ञानिक मानी जाती है।

देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता अथवा उसकी विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करते है।

1. देवनागरी लिपि अर्धअक्षरात्मक लिपि है इसकी वर्णमाला में कुछ तो वर्ण और कुछ अक्षर।

2. वर्णमाला की पूर्णता इस लिपि में पाई जाती है इसकी वर्णमाला ब्राह्मी लिपि पर आधारित है ब्राह्मी लिपि में स्वर और व्यंजन मिलाकर 64 ध्वनियाँ थी। देवनागरी लिपि में उनकी संख्या 52 है। जो संसार की सभी लिपियों से तुलना में अधिक है रोमन लिपि में कुल 26 ध्वनियाँ है उसमें हिंदी की श,ष, त, ठ, फ, भ ध्वनियों के लिए कोई वर्ण नहीं है।

3. देवनागरी की वर्णमाला पूर्णतया वैज्ञानिक है इसमें इस वर्णमाला का वर्गीकरण तीन दृष्टियों से किया गया है।

(i) उच्चारण स्थान की दृष्टि से:– हमारे वाग्यंत्र में कण्ठ, तालु, मूर्धा, दंतय, ओष्ठ, आदि स्थान क्रमशः है। और इसी क्रमशः से हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे: व्यंजनों में सबसे पहले कण्ठ से उच्चरित क वर्ग है इसके बाद तालु से उच्चरित च वर्ग है। फिर मूर्धा से उच्चरित ट वर्ग है। इसके बाद दंत से उच्चरित त वर्ग है। और सबसे बाद में उच्चरित प वर्ग है।

(ii) इसी तरह स्वरों में पहले कण्ठ से उच्चरित अ,आ,तालु से उच्चरित इ,ई मूर्धा से उच्चरित ऋ इसके बाद दाँत से उच्चरित लृ और इसके बाद ओष्ठ से उच्चरित उ, ऊ है। शेष स्वर संधि स्वर है। नासिका से उच्चरित अनुस्वर है और मुख–नासिका दोनों से उच्चरित अनुनासिका है।

प्रयत्न की दृष्टि से:– देवनागरी लिपि के कुछ वर्ग घोष है और कुछ अघोष है।

1. घोष वर्ण:– वर्गों के तीसरे, चौथे, पाँचवें अक्षर तथा य, र, ल, व, ह ये घोष वर्ण है। इसके साथ ही सभी स्वर वर्ण घोष है।

ग,घ, ङ

ज, झ, ञ

ड़ ढ़, ण/य, र, ल, व

द, ध, न / ब, भ, म

2. अघोष वर्ण:– व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर तथा श, ष, स ये अघोष वर्ण है।

3. अल्पप्राण की दृष्टि से:– वर्गों के पहले, तीसरे, और पाँचवें वर्ण अल्पप्राण है, तथा दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण है।

4.स्वर और व्यंजन की दृष्टि से:– देवनागरी लिपि वर्णमाला में चौदह स्वर है तथा 35 मूल व्यंजन है। ध्वनियों का ऐसा व्यवारिथतः सूक्ष्म और वैज्ञानिक वर्गीकरण अन्य किसी लिपि में नहीं मिलता।

यही नहीं देवनागरी में पहले मूल स्वरों`को स्थान दिया गया है फिर संधि स्वरों को इसके बाद व्यंजनों को और सबसे बाद में संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है।

5. देवनागरी में सवनिमों और लेखिमों में निकटतम संवाद है अर्थात ध्वनि और लिपि में पूर्ण रूप से सामंजस्य है। इसका तात्पर्य है कि जो बोला जाता है, वही लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 'क' बोला जाता है तो 'क' बोला जाएगा लेकिन अंग्रेजी में 'आ' बोलने पर Aap लिखा।

देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिह्न निश्चित है, रोमन अथवा अरबी लिपि में एक लेखिम ध्वनि के लिए अनेक लिपि चिह्न है, जैसेः– 'क' ध्वनि के लिए अंग्रेजी में K,C,Q आदि का प्रयोग करते है।

(iii) देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिह्न एक निश्चित ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। अरबी में एक लिपि चिह्न अनेक ध्वनियों से संयुक्त होता है। जिस तरह 'अलिफ' में अ+ल+इ+फ+अ आदि ध्वनियाँ है। इसी तरह अंग्रेजी में W लिखा तो जाएगा एक ध्वनि चिह्न लेकिन इसमें (ड्+अ+ब+ल+य+अ) छह ध्वनियाँ है

(iv) देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एकरूपता है आज जो बोला जाता है वही सुना जाता है और जो सुना जाता है वही लिखा जाता है और वही हमारी आँखों के द्वारा देखा जाता है।

अंग्रेजी में जैसी 'नेबर' में तीन ध्वनियाँ बोली गई लेकिन neighbour आदि ध्वनियाँ लिखी जाती है अंग्रेजी में बीच के वर्ण खामोश रहते है। इसी प्रकार चाकू के लिए नाइफ साइक्लॉजी में P लिखा जाता है लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता।

हमारी देवनागरी लिपि में मात्राओं को की व्यवस्था नितांत वैज्ञानिक है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के लिए स्वर निश्चित है और उन स्वरों की मात्राएँ निश्चित है।'आ' दीर्घ स्वर है उसकी मात्रा ा छोटी इ की मात्रा व्यंजन वर्णों में मिल जाती है, और उन्हें अक्षर बना देती रोमन लिपि की तरह मात्रा के रूप में स्वरों को पूर्ण रूप से नहीं लिखा जाता। जैसेः– रोमन लिपि में

कलम शब्द हम इस प्रकार लिखेंगे–

..............KALAM....................

राम के लिए ....RAMA..................

संयुक्त वर्ण रचना की अद्‌भूत क्षमता हमारी देवनागरी लिपि में है। इससे समय शक्ति और उपकरण की बचत होती है। यह शक्ति केवल देवनागरी लिपि में विद्यमान है। कहीं दो वर्णों को संयुक्त करके और कहीं–कहीं तीन वर्णों को संयुक्त करके लिखा जाता है।

3.3 सारांश :–

हिंदी का शब्द भंडार बहुत व्यापक है और कई स्त्रोतों से हिंदी में शब्द आगए है। अन्य भाषाओं की तरह इसका उद्‌भव और विकास की परंपरा समाज के इतिहास से जुडा हुआ है। देश–काल परिवेश के प्रभाव से आए हुए बदलावों को आत्मसात् करते हुए आगे चलने की महती अवश्यकता है, लिपि का विकास मानुष्य के महतम बौद्‌धिक उपलब्धियेां में से एक है। लिपि के माध्यम से वह आने ज्ञानातमक, भावात्मक तथा विचारात्मक अभिव्यक्तियों को अंकित कर पात है और आनेवाली पीढ़ी के लिए असे धरोहर के रूप में सुरक्षित कर पाता है।

3.4 संकेत शब्द :–

उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, समास

3.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न :–

प्रश्न 1– शब्द–विज्ञान से क्या तात्पर्य है? शब्द वैज्ञानिक स्तर पर कौन–सी भाषिक ईकाई का अध्ययन होता है।

प्रश्न 2– हिंदी शब्दों के विभिन्न स्त्रोत कौन–कौन से है? किन्हीं दो स्त्रोतों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3— हिंदी के विदेशी शब्दों के विभिन्न स्त्रोतों के बारे में उदाहरण के साथ समझाइए।

प्रश्न 4— देवनागरिक लिपि की विशेषता और वैज्ञनिकता को विस्तार से समझाएं।

प्रश्न 5— निम्न पर टिप्पणी करे।

क— उपसर्ग और प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट करे।

ख — तद्भव शब्द किसे कहते है?

3.6 संदर्भ सामग्री :—

1. भाषा और भाषिकी, देवीशंकर द्विवेदी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1993
2. भाषा विज्ञान की भूमिका, देवेन्द्रनाथ शर्मा, राधाकृष्ण, 1989
3. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, 1997
4. मानक हिन्दी का संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ओमप्रकाश भारद्वाज, आर्यबुक डिपो, दिल्ली।
5. भाषाविज्ञान और मानक हिन्दी, नरेश मिश्र, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, 1993
6. आधुनिक भाषाविज्ञान, कृपालकर सिंह एवं चतुर्भुज सहाय, नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली, 1997
7. आधुनिक भाषाविज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1996
8. भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र, कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1997
9. हिन्दी भाषा : उद्गम और विकास, उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, इलाहाबाद, 1997
10. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, दिल्ली, 1991
11. हिन्दी : उद्भव और विकास, हरदेव बाहरी किताब महल, इलाहाबाद, 1965
12. हिन्दी भाषा का विकास, देवेन्द्रनाथ शर्मा एवं रामदेव त्रिपाठी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1971
13. हिन्दी भाषा : रूप विचार, सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण', चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, 1962
14. देवनागरी, देवीशंकर द्विवेदी, प्रशात प्रकाशन, कुरुक्षेत्र 1990
15. देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वर्तनी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1976

16. भाषाविज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा, द्वारिकाप्रसाद सक्सेना, मीनाक्षी प्रकाशन दिल्ली, 1972
17. भाषा शिक्षण, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रकाशन, दिल्ली, 1981
18. भाषा और भाषाविज्ञान, नरेश मिश्र, निर्मल पब्लिकेशन्स दिल्ली 2001
19. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, रामकिशोर शर्मा, लोकमारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998
20. अनुवाद विज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002
21. अनुवाद विज्ञान और सम्प्रेषण, हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, 1984
22. अनुवाद विज्ञान और आलोचना की नयी भूमिका रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1980

हिंदी विज्ञान और हिंदी भाषा	
एम. ए. हिंदी	कोर्स कोड़ : एम. ए. – 101
समग्री संकलन एवं लेखन – डॉ. राजपाल सहायक प्रो0 हिंदी	विश्लेषक –
खंड–ख	अध्याय – 4

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 विषय प्रस्तुति

4.3 सारांश

4.4 संकेत शब्द

4.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न

4.6 संदर्भ सामग्री

4 उद्देश्य :–

आप गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी हिसार के दूरस्थ शिक्षा निदेशलय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा की संरचना से संबंधित पाठ्यक्रम की इकाइयों का अध्ययन करने जा रहे है। द्वितीय खंड क हिन्दी के विविध रूप से संबंधित से है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः–

- राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति छात्र–छात्रों में जगरूकता पैदा कर सकेंगे।
- कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी शिक्षण से हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- हिंदी का प्रयोग विविधता के साथ करने के प्रति जगरूक होगे।

4.1 प्रस्तावना :–

वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी के आकर्षक रूप से प्रयोग में देश की एकता और अखण्डता निहित हैं राजकाज वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी का निराशाजनक प्रयोग अत्यन्त चिंता का विषय है। देश के उच्च अधिकारी और दूसरे देश में जाने वाले राजनयिक ही नहीं, अधिकारी भी हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय कार्य समझे ंतो हिंदी को अनुकूल दिशा मिलेगी। विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी–अंग्रेजी–हिंदी कंप्यूटरों की अनुकूल संख्या होने की संभावना प्रसन्नता का विषय है। किन्तु उनका हिंदी भाषा के संदर्भ मं उपयोगी हो, यह अपेक्षा है। निश्चय ही राजभाषा के सम्मानजनक प्रयोग होने पर देश की एकता, अखण्डता और उन्नति निश्चित होगी।

4.2 विषय प्रस्तुति :–

4.2.1 हिन्दी के विविध रूप :–

हिंदी संस्कृत भाषा की बेटी कही जाती है। इसकी सारो की सारो तत्ससम पदावली संस्कृत भाषा से ली गई है इसकी प्रकृति संस्कृत भाषा से ली गई है। इसकी प्रकृति संस्कृत भाषा से पूर्ण रूप से मेल खाती है। यद्यपि हिंदी की अपनी स्वतंत्र प्रकृति भी है। फिर भी ध्वन्यात्मक और रूपात्मक प्रक्रियाा संस्कृत से मिलती जुलती है।

19 वीं शताब्दी में खड़ी बोली का हिंदी के रूप में विकास हुआ। प्रारम्भ में इसमें कही ब्रज भाषा का मिश्रण करके इसका प्रयोग होता था। कहीं ब्रज के साथ पंजाबी और राजस्थानी का भी मिश्रण होता था। प्रारम्भ में इसमें भोजपुरी, अवधी और कुछ–कुछ बंगला का मिश्रण होता था। प्रारंभ में इसमें हिंदी का एक और रूप भी विकसित हो रहा था। इसमें तत्सम, तदभव शब्दों के साथ–साथ अरबी और फारसी शब्दों का मिलान भी हिंदी में था। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के अंत तक काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा की प्रधानता रही और बोलचाल के रूप में हर प्रांत की अपनी–अपनी बोली काम में आती रही। लेकिन आजादी के आंदोलन के समय एक बात यह महसूस की गई कि पूरे भारत के लोग आपस में संपर्क कर सके, और इस भाषाा को संपर्क भाषा के रूप में विकसित कियाा जाए, इस दृष्टि में हिंदी को ही सर्वथा उपयुक्त पाया गया और भारतेन्दु युग से ही हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में माने जाने लगा। 10वी शताब्दी के बाद में <u>राजशिव प्रसाद सितारे हिन्द</u>' तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने हिदी को अधिक से अधिक संपर्क भाषा और साहित्यिक भाषा बनाने में योगदान दिया। सितारेहिंद ने उर्दू मिश्रित हिंदी को हिंदुस्तानी भाषा बनाने में योगदान दिया। पक्ष में प्रयत्न किया और कहा–हम लोगों को जहां तक बन पड़े चुनने मे उन शब्दों को लाना चाहिए जो आम अहम को खास पसंद हो अर्थात जिसको ज्यादा आदमी समझ सकते हो। राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृततिक हिंदी के पक्ष में प्रयत्न किया और इनकी भाषा साहित्यक हिंदी के अधिक करीब हो गई। जब हम आजादी का इतिहास पढ़ते है तो यह सिद्ध होता है कि वास्तव में उन दिनों हिंदी ने संपर्क

भाषा के रूप में बहुत बड़ा काम किया। उत्तर भारत के कोने–कोने में इसी हिंदी भाषा के माध्यम से लोकमान्य बालगंगाधर तिलक, विनोबा भावे, राष्टपिता महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल आदि नेताओं ने देश की स्वतन्त्रता की चेतना जगाई। यद्यपि यह चेतना हिंदी भाषा के माध्यम से सन् 1857 और उससे पहले से ही जगाई जा रही थी। भारतेन्दु युग में साहित्यकारों ने नेताओ के साथ स्वर में स्वर मिलाते हुए हिंदी को अधिक से अधिक सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करने का सफल प्रयत्न किया। अपने जीवन से दैनिक व्यवहार से लेकर अदालतो की भाषा में भी हिंदी के प्रयोग की बातें कही जाने लगी। आज भी यद्यपि अदालतों की भाषा पर उर्दू का ज्यादा प्रभाव है। फिर भी पहले की अपेक्षा हिंदी को बहुत अधिक प्रश्रेय मिला है।

स्वतंत्रता के बाद उत्तर भारत में प्राय सभी प्रदेश हिन्दी को प्रमुखता देने लगे है इन प्रातों में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, मध्यप्रदेश तथा केंद्र शासित चंडीगढ़, दिल्ली आदि ने ताो हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर ली है। वहॉ भी बाहर के प्रांतो से गये हुए लोग सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते है। इतना ही नहीं हिंदी फिल्मों के गाने उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में खूब समझे और सुने जाने लगे हैं। आज किसी भी प्रांत का व्यक्ति भारत को किसी भी प्रदेश में चला जायें उसकी संपर्क भाषाा का दर्जा दिया गया है इसे आजीविका से भी जोड़ा गया है और आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्रकारिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अन्य अंगों के साथ महत्वपूर्ण ढंग से हिंदी को जोड़ा गया है। इस सब के आधार पर हम दावे के साथ कह सकते है कि आज भारतवर्ष में जनसंपर्क की भाषा हिंदी है।

राष्ट्भाषा के रूप में हिंदीः– सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीयय काग्रेंस की स्थापना हुई और स्वतंत्रता आदोलन चला। लेकिन इस आदोंलन में तेजी 20 वी शताब्दी के आंरभ सन् 19055 में आया। उस समय हमारे राष्ट्रीय नेताा एक ऐसी भाषा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे जिसके माध्यम से वे अपनी बात पूरे देश तक सीधे–सीधे पहुचाने लगे या पहुचा सकते है। हिन्दी एवं अहिन्दी भाषिक क्षेत्र के सभी नेता इसमें शामिल थे और सब लोगो ने विचार करके इस व्यापक कार्य के लिए हिन्दी भाषा को चुना क्योंकि भारत के अधिकांश भागों में यह भाषा बोली और समझी जाती रही है। दक्षिणी हिन्दी के रूप में दक्षिण भारत के लोग भी हिंदी से परिचित थे और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भाषा हमारी संस्कृति का प्रतिनिधत्व करती है।

रविन्द्र नाथ टेगोर ने कहा था हमें उस भाषा को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए जो देश के सबसे बड़े भू–भाग में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने के लिए महात्मा जी ने हमसे आग्रह किया अर्थात् हिन्दी।

उसी समय गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य,स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी पर बल दिया। राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने एक विशेष अधिवेशन में राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में प्रस्ताव का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है उन्होंने 1931 में लिखा था यदि स्वराज्य अग्रेजी पढ़े लिखें भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है तो संपर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। लेकिन यदि वह करोड़ों भूखे लोगो करोड़ो निरक्षर लोगो निरक्षर स्त्रियों और सताये हुए अछूतों के लिए है तो संपर्क भाषा केवल हिंदी हो सकती है गांधी जी भाषा संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक एवं व्यावहारिक कथा। यह बात जरूर थी कि इन्होंने हिंदुस्तानी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वकालत की थी।

14 हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी हुए। लोकमान्य बालगंगाधर तिलक ने 1903 में हिंदी केसरी पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। लाला लाजपतराय ने हिंदी का समर्थन करते हुए पंजाब विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिलवाया। पंडित मदनमोहन मालवीय ने हिंदी के दैनिक पत्र 'हिन्दुस्तान' तथा साप्ताहिक पत्र अभ्युदय का प्रकाशन एवं सम्पादन किया। 'मर्यादा' तथा 'सनातन धर्म' नामक पत्रिकाएँ निकाली। 1917 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए हिंदी का अध्ययन अनिवार्य कर दिया। इसके अतिरिक्त कोर्ट–कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिलवाया।

राजर्षे पुरूषोतम दास टण्डन ने प्रयाग में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की और नागरी लिपि का प्रबल समर्थन किया। आज भी यह संस्था हिंदी की अभिवृद्धि और समृद्धि में लगी हुई है। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने हिंदी की जो सेवा की और सरकारी स्तर पर हिंदी की जो प्रतिष्ठा दिलवाई वह उदाहरणीय है काका साहब कालेलकर, सेठ गोविन्द दास, विनोबा भावे आदि स्वनाम धन्य नेताओं ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत

की। इनके अतिरिक्त बह्म समाज, आर्यसमाज, सनातन धर्म तथा थियोसॉफिकल सोसायटी आदि संस्थाओं ने हिंदी के पक्ष में महत्वपूर्ण वातावरण तैयार किया। हिंदी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गई। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार विद्यालय स्थापित किये गये और गुजरात विद्यापीठ बंबई हिन्दी विद्यापीठ, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आदि संस्थाओं में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। उस समय दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नेता और हमारे राष्ट्रीय पुरूष राजगोपालचारी ने 1928 में अपनी अपीलों में कहा– यदि दक्षिण भारत क्रियात्मक रूप से पूरे देश के साथ एक सूत्र में बंधकर रहना चाहते है। और अखिल भारतीय मामलों से तथा तत्संबंधी निर्णयों के प्रभाव से अपने को दूर नहीं रखना चाहते तो उन्हें हिंदी पढ़ना जरूरी है। इन्हीं सब प्रयत्नों के फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात् हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद यही सर्व स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिंदी राजनीतिक शिकार हो गई इसके बावजूद जनशक्ति के बल पर यह भाषा अपनी गति एवं विकास को निरंतर बनाये हुये है और हम सब लोग यह अनुभव करते है कि जब तक अंग्रेजी और अंग्रेजियत पूर्ण रू॰ से समाप्त नहीं की जाती तक तक हिंदी हिन्दू और हिन्दुस्तानी का अस्तित्व इसी तरह अनिश्चय की स्थिति में पड़ा रहेगा।

हिन्दी राजभाषा के रूप में:– स्वतंत्रता के बाद सम्पूर्ण देश में एक ऐसी भाषा की आवश्कता महसूस की जिसके माध्यम से देश के सभी लोगों से संपर्क किया जा सके। इसमें देश के सभी नेताओं ने अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई, और यह बात स्पष्ट हो गई कि हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा होगी।

आजादी के बाद एक ओर प्रश्न उभर कर सामने आया कि ऐसी कौन सी भाषा चुनी जाए जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच राजकाज संबंधी व्यवहार हो सके। यही प्रश्न राजभाषा का प्रश्न कहलाया। जिस भाषा में सरकारी कामकाज होते है वहीं राजभाषा कही जाती है। इसके साथ ही प्रशासन के तीनों अंगों अर्थात् विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के साथ केंद्र सरकार और राज्यसरकार आपस में इसी राजभाषा में पत्र व्यवहार आदि करते है, हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रश्न इतना सहज नहीं था। सबसे पहले हिंदी को फारसी के बीच से अपना रास्ता बनाना पड़ा। बाद में इसे उर्दू से टक्कर लेनी

पडी। 19 वीं शताब्दी के मध्य में जब अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दी गई तब उसका संघर्ष अंग्रेजी से हो गया। इस तरह मुसलमानों और अंग्रेजों की गुलामी का खामियाजा हिंदी को भी भुगतना पड़ा। राजभाषा के प्रश्न पर हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं का नाम आया। पहले तो हिंदू और हिंदुस्तान को लेकर बवाल खड़ा हुआ। इसके बाद अंग्रेजी और हिन्दी में प्रतिस्पर्धा होने लगी। 12 सितम्बर 1948 से 14 सितम्बर 1948 तक संविधान सभा के सामने बहस चली इस दौरान 400 संशोधन किए गए लेकिन अतं में कन्हैयालाल, मणिकलालमुंशी और आयंगर फार्मूले को स्वीकार करके हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। यही फार्मूला हमारे संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है साथ ही संविधान के परिशिष्ठ की आठवीं अनुसूची इसी फार्मूले के तहत रखी गई।

14 सितम्बर 1948 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इसीलिए यह दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है तब से लेकर आज तक राजभाषा से संबंधित संविधान के इन अनुच्छेदों में केवल दो संशोधन हुए है। पहले संशोधन के अनुसार 350वें अनुच्छेद के साथ 350 (अ) और 350 (ब) जोड़े गए। इसके द्वारा भाषायी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यह पहला संशोधन 7वें संशोधन के रूप में सन् 1956 में पारित किया गया। दूसरे संशोधन के अनुसार संविधान की अष्ट्म अनुसूची में सिंधी भाषा में जोड़ा गया। इस प्रकार मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 15 हो गई। बाद में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी भाषाएँ भी जोड़ी गई। इस प्रकार मान्यता प्राप्त भाषाएँ 18 हो गई है।

संविधान सभा ने राजभाषा के संदर्भ में तीन मुख्य व्यवस्थाएँ है—

1. हिंदी को राजभाषा के रूप में किया जाए।

2.संविधान के प्रारम्भ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में चलती रहे।

3. हिंदी के विकास के कारण अन्य भारतीय भाषाओं की उपेक्षा न हो।

राजभाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप निर्धारित होगा। अनुच्छेद 344 के अनुसार हिंदी की प्रगति का लेखा–जोखा करने के लिए संविधान लागू होने के बाद आयोग हिंदी की वर्तमान स्थिति तथा उसके भविष्य के बारे में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 345 के अनुसार यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य इन 15 वर्षों के अंतर्गत अपनी कोई भाषा स्वीकार कर लेता है तो वह 15 वर्षों के अंतर्गत अपनी कोई भाषा स्वीकार कर लेता है तो वह लागू हो जाएगी नहीं तो उसे हिंदी भाषा का प्रयोग करता पड़ेगा।

अनुच्छेद 346 के अनुसार विभिन्न राज्य आपस में यह निर्णय करेंगे कि वे राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाएंगे। निर्णयन होने की स्थिति में हिन्दी भाषा का ही व्यवहार करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतम भाग अपनी बोली को यदि राजभाषा के रूप में मान्यता चाहता है तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भाषा तब तक अंग्रेजी रहेगी जब तक कि हिंदी उसका पूर्ण स्थान नहीं ले लेती, लेकिन उच्च न्यायालयों में उस प्रदेश की जनता की मांग पर उस राज्य की भाषा को प्रयोग की अनुमति दे सकता हैं

अनुच्छेद 349 के अनुसार परिस्थितियों को देखते हुए देश की संसद राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राजभाषा के सम्बन्ध में समय–समय पर अधिनियम बना सकती है।

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक संघ के स्तर पर किसी भी भाषा में अभ्यावेदन कर सकता है स्तर पर किसी भी भाषा के अभ्यावेदन कर सकता है

अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार–प्रसार और विकास इस रूप में करें कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सकें। जहाँ जरूरत हो अपने शब्द भण्ड़ार की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रूप से संस्कृति से शब्द ग्रहण करें और गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करे।

इन सब के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 120 और 210 भी राजभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संविधान द्वारा स्वीकृत किसी भी भाषा में संसद सदस्य किसी भी संदर्भ पर बहस कर सकते है। अनुच्छेद 210 के अनुसार प्रांतीय विधानसभाएं अपने राज्य की मान्यता प्राप्त भाषाओं में काम कर सकती है।

संविधान के द्वारा इन प्रावधानों के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बना तो दिया लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा तथा अदालतों की लिखा–पढ़ी में उर्दू, फारसी छाई रही, इसलिए हिंदी उस रूप में राजभाषा आज तक नहीं बन पाई है जिस रू॰ में उसे बनना था। समय–समय पर राष्टपति के द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राजभाषा आयोग के माध्यम से, राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से, राजभाषा अधिनियम में अनेक विकासालय संशोधन किये गये, कभी पक्ष–विपक्ष में बहस कराई गई तथा 1965 में से सरकारी काम काज में हिन्दी, उर्दू दोनों का प्रयोग किया जाने लगा।

26जून 1975 को भारत सरकार ने सचिवालय के अधीन के एक स्वतंत्र राजभाषा की स्थापना की है, जिसके कार्य इस प्रकार है अधिक से अधिक हिंदी में काम–काज को करने में बढ़ावा देना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना लागू करना, विभिन्न मान्यताओं और विभागों द्वारा हिंदी सलाहकार समितियों से कार्य का समन्वयकरना। इसके अतिरिक्त केंद्र में सभी राज्यों को क, ख, ग इन तीन वर्गों में बाँट दिया हैं।

क वर्ग में मातृभाषा हिंदी वाले राज्य है– हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली अंडमान–निकोबार। नियम बनाया गया कि ये सभी राज्य आपस में हिंदी में व्यवहार करेंगे।

ख वर्ग में उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम आते है। इनके सम्बन्ध में नियम बनाया गया कि इनके साथ ही हिंदी में पत्राचार हो सकती है लेकिन साथ में अंग्रेजी का अनुवाद भी होना चाहिए।

ग वर्ग के अंतर्गत दक्षिण के चारों राज्य आन्ध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल, पश्चिमबंगाल तथा शेष राज्य हो गए। इनके साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होगा, साथ में हिंदी का अनुवाद जाना चाहिए। इन सब सरकारी प्रयासों नियमों के अतिरिक्त आम हिंदी भाषी जनता तथा हिंदी की स्वयं सेवी संस्थाओं ने हिंदी के प्रचार–प्रसार और उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और अब हिंदी के प्रति पहले जैसा विरोध भी नहीं रह गया है। यह राजभाषा के रूप में हिंदी के एक अच्छे भविष्य का संकेत है।

राजभाषा के रूप में हिंदी का सामान्य परिचय देते हुए हिंदी की समस्याओं पर प्रकाश ड़ालिए

4.2.2 संचार भाषा के रूप में हिंदीः–

अंग्रेजी में जिसे कम्युनिकेशन कहते है हिंदी में उसे संचार कहते है। संचार का तात्पर्य है अपने विचारों, मतों, दृष्टि कोण और विभिन्न सूचनाओं आदि का परस्पर आदान–प्रदान करना किसी भी देश के लोग आपस में विचार–विमर्श के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन जब व्यापारी लोग विापन के माध्यम से जनता में सम्पर्क करना चाहते है तो उनहे अपना माल बेचने के लिए अथवा अपनी उत्पादन की जानकारी और विशेषताएं लोगों को बताने के लिए अखबार, रेडियों, टी.वी. आदि को माध्यम के रूप में अपनाना पड़ता है। इन्हीं माध्यमों से जिस भाषा में विचारों, दृष्टिकोणों, संदेशों और सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है उसे संचार भाषा कहते है।

आज विज्ञान की प्रगति के चलते पूरे विश्व में संचार के अनेक माध्यमों का विकास हो चुका है हमारे देश में भी मीडिया के विभिन्न आयाम कार्य कर रहे है और हिंदी संचार भाषा के रूप में माध्यम बनी हुई है। दूरदर्शन में तो हिंदी को ंचार की मुचय भाषा मान लिया है हम देखते है कि विभिन्न कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देने वाले व्यापारिक संस्थान हिंदी में विज्ञापन दे रहे है और यह विज्ञापन आयोडीन युक्त नमक से लेकर बड़ी–बड़ी चीजों तक फैला हुआ है। इसी

प्रकार अखबारों में हिंदी के माध्यम से मनुष्य के दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर बेटी–बेटों के रिश्ते तक तय किये जा रहे है। आकाशवाणी द्वारा बहुत पहले से ही हिन्दी को संचार भाषा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। किंतु यहाँ एक प्रश्न उठता है कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग व्यापारी वर्ग तथा सरकारी तंत्र ये सब मूलरूप से अंग्रेजी प्रशस्त है लेकिन अपने उत्पादन को आम जनता में खजाने के लिए अथवा अपनी विचारों से जनता को प्रभावित करने के लिए संचार भाषा हिंदी का प्रयोग करते है। यह उनकी मजबूरी भी है और चतुराई भी इस देश की आम जनता हिंदी ही समझती है हिंदी ही बोलती है और हिंदी का ही व्यवहार करती है। इसलिए संसार में मीड़िया से जुड़े हुए लोग हिंदी का ही प्रयोग करते है। किंतु क्या हिंदी को हिंदी की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है? जब हम फिल्मों विज्ञापनों और अन्य साधनों में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी का मिला जुला रूप देखते है तो वह बात उभर कर सामने आ जाती है कि मीडिया साधारण जनता को लुभाने के लिए हिंदी को बिगाड़कर प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि उसकी नियति हिंदी की नियति नहीं है। उदाहरण के लिए विज्ञापन के कुछ अंश हम प्रस्तुत करेंगे.............thanks god आज की भाग–दौड़ भरी जिंदगी में कुछ तो simple है। जैसेः– बोरो प्लस मैं आया हूँ एक नया टूथपेस्ट लेकर दाँतो ंके साथ experiment कीजिए। इस प्रकार की भाषा न हिन्दी है,न इंगलिश। इसलिए इसे मजाक में hinglish हिंगलिश कहा जाता है। लेकिन इसका एक लाभ यह तो जरूर हुआ है कि मीडिया ने संचार भाषा के रूप में हिंदी को लोकप्रिय बना कर देश के कोने–कोने तक पहुँचाया है, इस दिशा में फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। दक्षिण के जो चारों राज्य (आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु) जो किन्हीं कारणों से हिंदी का विरोध करते हैं वे ही हिन्दी फिल्मों और हिंदी फिल्म के गीतों को व्यापक रूप देखते और सुनते है।

अन्त में तथ्य के रूप में हम कह सकते है कि होना तो यह चाहिएकि राजभाषा, राष्ट्र भाषा संपर्क भाषा और संचार भाषा वस्तुतः एक ही भाषा होनी चाहिए और होती है। जैसा कि विकसित देशों.............जर्मनी, चीन, जापान आदि में एक ही भाषा सभी रूपों में प्रयोग की जाती है दुर्भाग्य से भारत में आपसी मतभेदों के कारण अंग्रेजी के प्रति निष्ठा और नाकाबपोश के

कारण राजभाषा, राष्ट्रभाषा संपर्क और संचार भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग बहुत कम हो रहा है और जो हो रहा है वह भी विकृत प्रयोग हो रहा है।

4.2.3 माध्यम भाषा के रूप में हिंदी:—

स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी के प्रति जो आदर निष्ठा लोगों में थी आजादी के बाद दिन—प्रतिदिन उसमें कमी आई है। यह तो हिंदी भाषी लोगों, साहित्यकारों साहित्य सेनी संस्थाओं और राष्ट्रवादी विचार धारा के लोगों के प्रयत्नों का परिणाम है कि आज हिंदी विश्वभाषा का रूप लेने जा रही है। यह भाषा राजभाषा या राष्ट्रभाषा होने के कारण आदरणीय नहीं है बल्कि यह हमारे रक्त की भाषा है, हमारी मातृभाषा है , हमारे पुरखों की भाषा है और हमारे देश की सांस्कृतिक भाषा है इसलिए यह हमारे लिए अत्यंत सम्मानीय है।

माध्यम भाषा का तात्पर्य यह होता हजे कि जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन की दृष्टि में किसी भाषा का प्रयोग करना आदि, हिंदी देश—विदेश की सूचना देने वाले अखबारों का माध्यम बनी हुई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी का माध्यम बनी हुई है। इसके द्वारा हम आज के नितांत वैज्ञानिक जीवन में सहजता और सरलता के साथ देश—विदेशकी हर हलचल को जानते हुए और उससे तालमेल बैठाते हुए अपना जीवन जी रहे है। हमारी हिंदी को यह गौरव प्राप्त है कि आज यह लगभग सौ करोड़ भारतवासियों के संपर्क का माध्यम है मीडिया का माध्यम है और इन सबसे भी आगे बढ़कर शिक्षा का माध्यम है प्राईमरी स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी है। संविधान के भाग 17 के विभिन्न अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। बाद में जब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न उठा तब सरकार को द्विभाषा और त्रिभाषा फार्मूला लागू करना पड़ा जिससे माध्यम भाषा के रूप में हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापकता नहीं मिली इसके पीछे राजनैतिक दुराग्राह रहा है। अग्रेंजी और अग्रेंजियत के प्रति निष्ठा रखने वाले सियासी लोगों ने इस देश में पब्लिक स्कूलों की परम्परा डाली जहाँ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। यही शिक्षाका माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। यही निष्ठा बढ़ते—बढ़ते कॉनवेट स्कूलों को जन्म दिया। जहाँ पर हिंदी एक विषय के रूप बेशक पढ़ाई जाती है। लेकिन उन स्कूलों में हिंदी बोलने पर प्रतिबंध है। द्विभाषा फार्मूला की

बात अंग्रेजी परस्त लोगों ने की और इसलिए हिंदी प्रदेशों में भी हिंदी की स्थिति अंग्रेजी से भी बहुत भिन्न है लोग अंग्रेजी के प्रति एक आकर्षण पाले हुए है...........और उसी के चलते अपने बच्चों को पब्लिक अथवा कॉन्वेट स्कूलों में भेजते है। उनका परिणामयह हुआ है कि आज बच्चों को न ठीक से अंग्रेजी आती है न हिंदी।

जहाँ तक त्रिभाषा फार्मूला की बात है उसमें हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर प्रदेश की अपनी भाषा में शिक्षा के माध्यम की व्यवस्था है। यह बात ठीक लगती है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा और प्रारम्भिक ज्ञान प्रापत करें। लेकिन शिक्षा के उच्चतर और उच्चतम स्तर पर पूरे देश में एकरूपा की दृष्टि से एक ही भाषा का माध्यम होना चाहिए ताकिहर व्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन उचित रूप में हो सके।

निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे कि जब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संचार और संपर्क का माध्यम है तो शिक्षा के माध्यम के रूप में इसका व्यापक रूप से प्रयोग होना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि अपनी भाषा में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है यह बहुत ही व्यावहारिक और उससे आम जनता को भी लाभ पहुँचाता है उदाहरण के लिए:– कृषि विज्ञान की शिक्षा का माध्यम यदि पूर्ण रूप से हिंदी हो जाए तो गाँव के सामान्य किसान भी इससे लाभान्वित होगे। इसी तरह विज्ञान प्रौद्योगिकी विधि की शिक्षा का माध्यम हिंदी को बना दिया जाए तो हिंदी भाषी तथा ग्रामीण परिवेश में रहने वाली प्रतिभाएँ भी अपनी क्षमता का सदुपयोग एक अच्छे वैज्ञानिक, वकील, कानून, विशेषज्ञ आदि के रूप में कर सकेंगे।

4.2.4 हिंदी की संवैधानिक स्थिति :–

15 अगस्त1947 से पहले अंग्रेजी सरकार ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया। जिसके अंतर्गत अनेक समितियाँ बनी। आजादी के बाद 21 जनवरी 1948 को संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया। नवम्बर 1948 में संविधान सभा में इस पर विचार–विमर्श हुआ औश्र 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को पूर्ण रूप से मान्यता मिल

गई तथा 26 जनवरी 1950 को यह संविधान स्वतंत्र भारत में लागू कर दिया गया। इसी संविधान सभा में राजभाषा का प्रश्न भी उठाया गया।

11 दिसम्बर से लेकर 14 दिसम्बर 1949 तक राजभाषा को लेकर काफी वाद–विवाद हुआ। कुछ लोग हिंदी भाषा को तत्सम शब्दावली प्रधान बनाना चाहते थे, कुछ लोग गाँधी जी से प्रभावित होकर उसे आमबोल चाल की हिंदुस्तानी भाषा का रूप देना चाहते थे, और इसी तरह अंको की लिपि के बारे में भी विचार–विमर्श हुआ, अंत में अंकों की लिपि रोमन लिपि स्वीकार की गई। राजभाषा के रूप में हिंदी को जो स्थान दिया गया वह इस प्रकार हैः–

1. भारतीय संविधान के भाग–2 अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का प्रावधान है।

2. भारतीय संविधान के भाग–6 अनुच्छेद 210में राज्य की विधानसभाओं की भाषा संबंधी निर्देश है।

3. हिंदी के संबंध में संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग–17 है। उसके चार अध्यायों में विभिन्न अनुच्छेंदों में हिंदी के संबंध में बात कही गई है। इसी को हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति भी कहेंगे, प्रथम अध्याय में 344वें अनुच्छेद में द्वितीय अध्याय के 345, 346, 347 वें अनुच्छेद में तीसरे अध्याय के 348, 349 वें अनुच्छेद और चतुर्थ अध्याय के 350, 351 वें अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया है और हिंदी की विकास आदि का प्रावधान दिया गया है।

343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी के संबंध में जो संवैधानिक के प्रावधान है उनका विवरण इस प्रकार हैः–

अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप निर्धारित होगा।"

अनुच्छेद 344 के अनुसार–"हिंदी की प्रगति का लेखा–जोखा करने के लिए संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तथा हर दस वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग गठित किया

जाएगा। वह आयोग हिंदी को वर्तमान स्थिति तथा उसके भविष्य के बारे में अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।"

अनुच्छेद 345 के अनुसार यह व्यवस्था है कि यदि कोई राज्य इन 15 वर्षों के अंतर्गत अपनी कोई भाषा स्वीकार कर लेता है तो वह लागू हो जाएगी, नही तो उसे हिंदी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा।"

अनुच्छेद 346 के अनुसार—"विभिन्न राज्य आपस में यह निर्णय करेंगे किवे राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाएँगे। निर्णय न होने की स्थिति में राजभाषा का ही व्यवहार करना पड़ेगा।

अनुच्छेद 347 के अनुसार—"किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतम भाग अपनी बोली को यदि राजभाषा के रूप में मान्यता चाहता है तो राष्ट्रपति इसकी अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 348 के अनुसार —"उच्चतम न्यायालय की भाषा तब तक अंग्रेजी रहेगी जब तक कि हिंदी उसका पूर्ण रूप नहीं ले लेती लेकिन उच्च न्यायालयों की में उस प्रदेश की जनता की माँग पर उस राज्य की भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है।

अनुच्छेद 349के अनुसार— "परिसिथतियों को देखते हुए देश की संसद राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राजभाषा के संबंध में समय—समय पर अधिनियम बना सकती है।"

अनुच्छेद 350 के अनुसार— भारत का कोई नागरिक संघ [20] के स्तर पर किसी भी भाषा में अभ्यावेदन (न्याय पाने के लिए प्रार्थना पत्र) दे सकता है।

अनुच्छेद 351 के अनुसार—"संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास इस रूप में करे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्त कर सके। जहाँ जरूरत हो अपने शब्द भण्डार की बढ़ोतरी के लिए मुख्य रू॰ से संस्कृति से शब्द ग्रहण करे औश्र गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करें।"

अनुच्छेद 343 के भाग 2 के अनुसार— हिंदी के प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति का आदेश जारी हुआ। जिसके अंतर्गत राज्य के राज्यपालों उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्तियों के अधिपत्र अंग्रेजी में होंगे तथा साथ—साथ हिंदी भाषा में भी जारी किए जाएँगे। इसके साथ—साथ सरकारी काम—काज संसद के काम—काज जनता के साथ पत्र व्यवहार प्रशासनिक रिपोर्ट औश्र सरकारी पत्रिकाओं आदि में अंग्रेजी के साथ—साथ हिंदी में भी प्राधिकृत किया गया।

1955 में राजभाषा आयोग बना। 1957 में संसदीय राजभाषा समिति की स्थापनाप हुई और इसी के साथ ही 1960 में राष्ट्रपति का आदेश जारी किया गया कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विकसित की जाए। शिक्षा मन्त्रालय द्वारा हिंदी का प्रचार—प्रसार करने का संसद के अधिनियमों और विधेयकों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद उपलब्ध कराने आदि के संबंध में दस नियमों की व्यवस्था की गई 1963 और 1967में दो राजभाषा अधिनियम पारित किए गए। हिंदी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में 1976 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया 18 जूप 1976 को बने इस राजभाषा के आधार पर पूरे देश को क, ख, ग, इन तीन भागों में बाँट दिया गया।

क भाग में हिंदी भाषी राज्य शामिल है जहाँ केंद्र सरकार पत्र भेजते समय हिंदी का प्रयोग करेगी और यदि किसी विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी में पत्र भेजा जाएगा तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ जाएगा। ख भाग में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और चंड़ीगढ़ आदि को प्रायः हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्र भेजा जाएगा। ग भाग में दक्षिण के चारों प्रांत सम्मिलित है इनके साथ केंद्र सरकार अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार करेगी। हिंदी में जो पत्र प्राप्त होगे। उनका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा अथवा यदि कोई आवेदक हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसको हिंदी में ही उत्तर दिया जाएगा।

इस प्रकार हिंदी की संवैधानिक स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि प्रारम्भ से ही हमारे नेताओं और प्रशासकों की नियति हिंदी के संबंध में ईमानदारी की नहीं रही। इसलिए हिदी को राजभाषा बनाते समय उन्होंने विकल्पों के अनेक दरवाजे खोल दिए जिनसे होकर अंग्रेजी हमारे

घर में अधिकार जमाए हुए है और राजभाषा बनी हुई है। हिंदी दासी की स्थिति में अंग्रेजी रूपी महारानी के चरणों में पड़ी है लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदी भाषी हिंदी के छात्र–छात्राएँ, हिंदी के साहित्यकार, हिंदी स्वयं सेवी संस्थाएं और राष्ट्रवादी विचारधारा के हमारे जननायक कृत सकंल्प है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा का व्यावहारिक स्थान भी दिलाएंगें।

प्र05. हिंदी में कंप्यूटर सुविधाएँः– आधुनिक युग विज्ञान के उत्कृष्ट विज्ञान का युग है। आज विज्ञान ने हमारे लिए जीवन के तमाम भौतिक सुख साधन उपलब्ध करवा दिए है। उन्हीं में से एक है–कम्पयूटर यह एक मशीन है। जिसके आधारभूत तत्व इस प्रकार है।

1. Input divice:– इसका प्रयोग कंप्यूटर में ऑकड़े अथवा सूचना भरने के लिए किया जाता है।

2. central processing unit:– इसको केंद्रीय संसाधन इकाई अथवा CPU कहते है। इसके निम्नलिखित अनुभाग है।

3. वनजचनज कपअपबमः– यह भाग केंद्रीय संसाधन इकाई से पुनः सूचना प्राप्त करता है तथा उन्हें मनुष्य द्वारा पढ़ने योग्य बनाता है।

4. वृहद् भण्डारण इकाईः– यह इकाई अधिक स्थाई रूप में वृहद् सूचनाओं को एकत्र करती है। और जरूरत पड़ने पर उन्हें मनुष्य द्वारा उपयोग में लाने योग्य बनाती है।

central processing unit		
Memory unit	Input divice	Output divice

शब्द संसाधनः— कंप्यूटर हमारे शब्दों का संसाधक बनता है और संसाधन की इस संरचना और प्रत्तियां को दो भागों में बाँटा जा सकता हैः—

1. बाहरी उपकरण (साम्रगी)

2. भीतरी अवयव (अंग)

बाहरी उपकरणः— इसके माध्यम से पाठ को Memory unit तक भेजा जाता है और वहाँ से उस पाठ को जरूरत पड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है।

Input divice — इसके मुख्य रूप से चार भाग होते है।

कुंजीपटल— कुंजीपटल के द्वारा कंप्यूटर को oprate करने वाला व्यक्ति पाठ को शब्द संसाधक में टाइप करके भेजता है और स्क्रीन अथवा मॉनीटर पर उस पाठ को दर्शाया जाता है कंप्यूटर में एक अच्छा कुंजीपटल लगभग 80 अक्षर प्रति पंक्ति वाली लगभग 24 पंक्तियाँ दर्शा सकता है। आजकल हिंदी में कंप्यूटर पर काम आने वाले अच्छे की बोर्ड उपलब्ध है।

फ्लॉपी डिस्कड्राइवः— कंप्यूटर का यह हिस्सा टेप रिकॉर्ड से मिलता जुलता है। यह हमें सूचनाएँ देता है इससे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का काम लिया जा सकता है।

स्कैनरः— कंप्यूटर का यह हिस्सा फोटोस्टेट मशीन जैसा होता है । इसमें एक कॉच की सतह होती है कंप्यूटर के स्मृति तक जो पाठ ले जाना होता है उसे इसी शीशे की सतह पर रखकर स्कैन किया जाता हैं।

माउस अथवा प्वाईटिंग डिवाइसः— आजकल जो आधुनिकतम कंप्यूटर बन रहे है। उनमें माउस द्वारा भी स्कैनर से पाठ प्राप्त करके कंप्यूटर के स्मृति भाग में भेजने की सुविधा होती है इस हिस्से से काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है।

Output divice – इसमें फ्लापी डिस्क ड्राइव और प्रिंटर आदि आते है। कंप्यूटर तो प्रिंट करने का आदेश देकर प्रिंटर के माध्यम से पाठ को प्राप्त किया जा सकता है।

कंप्यूटर के भीतरी अवयवः– शब्द संसाधक के भीतरी अवयव बाहरी उपकरण के समान बाहर से दिखाई देते है।ये एक सर्किट बोर्ड पर स्थित रहते है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अवयव माइक्रो प्रोसेसर होता है जो शब्द संसाधक के सभी कार्यों को सिद्ध करता है।

4.2.6 हिंदी में शब्द संसाधन :–

हिंदी में शब्दमाला नामक अंग्रेजी हिंदी शब्द संसाधक तैयार किया गया है जिसमें 114 शब्द संकेत है जिस तरह रमगेटन हिंदी टाइप मशीन का कुंजी पटल होता है उसी प्रकार कंप्यूटर पर भी हिंदी कुंजीपटल उपलब्ध कराया गया है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनो भाषाओं के शब्द संसाधन की सुविधाएँ प्राप्त है।

इसी प्रकार एक लिपि नामक एक तीन भाषाओं वाला कप्यूटर भी तैयार किया गया है। इसमें मानक शब्द संसाधन के सभी साधन प्राप्त है। जैसेः– वर्तनी ठीक करने की व्यवस्था, भारतीय भाषाओं में साथ अंग्रेजी के शब्दों को रखने की व्यवस्था एक लिपि से दूसरी लिपि में बदलने की व्यवस्था इत्यादि, इसी प्रकार मुंबई की हिंदी ट्रॉन कम्पनी की ओर से आलेख नामक शब्द संसाधक बनाया गया है जिससे दो भाषाओं या तीन भाषाओं में साथ–साथ काम करने की सुविधा है।हिंदी शब्द संसाधक में अनेक प्रकार के फर्मे तैयार किये जाते है औश्र इसके बाद उन्हें कंप्यूटर के स्मृति भण्ड़ार में रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें निकाला भी जा सकता है और यदि जरूरत पड़ें तेा उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है इसके लिए आज बाजार में अनेक इंटरमीडियट साफ्टवेयर उपलब्ध है। जिनमें माइक्रोसाफ्ट पेजमेकर वर्ल्डस्टार आदि प्रमुख है। इनके कार्य भी अलग–अलग है पेजमेकर से पुस्तक प्रकाशन का काम लिया जाता है इसी तरह लेजर के द्वारा देवनागरी लिपि में प्रकाशन भी किया जा सकता है।

4.2.7 हिंदी में ऑकड़ा संसाधन–

हिंदी में इसके लिए कंप्यूटर पर द्विभाषिक संकलन अथवा आँकड़ा संचययन प्रबंधन तंत्र बाजार में उपलब्ध है इसका प्रयोग लेजर प्रिंटर के साथ किया जाता है हिंदी में कंप्यूटर की विभिन्न भाषाओं की तरह अनेक तंत्र तैयार किए गए है। औश्र स्टैण्ड का मानक देवनागरी के कुंजीपटल की स्थापना या व्यवस्थ्झा की गई है कंप्यूटर में आधुनिक तंत्रों के माध्यम से तालिकाँए बनाई जा सकती है बैलेन्स सीट तैयार करना कैलेण्डर तैयार करना और अनेक प्रकार की पुस्तकें आदि भी शैली के आधार पर तैयार की जा सकती है।

4.2.8 हिंदी में वर्तनी शोधक :–

कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी में वर्तनी शोधन के लिए ओशो कम्पून इंटरनेशनल पुणे ने एक हिंदी वर्तनी जॉच ओशो स्पेल बाइंडर तथा हिंदी शब्दकोश हिंदी शब्द सागर विकास किया है इसका प्रयोग ऐपल में किन्टास कंप्यूटर पर किया जा सकता है औशो स्पेल बाइंडर एक हिंदी प्रफरोडर है जो 1000शब्द प्रति मिनट की गति से जाँच कार्य कर सकती है, और प्रचलन में आने वाली गलतियों को दूर करने के लिए और गलत वर्तनी में सुधार लाने के इसे विशेष रू॰ से तैयार किया गया है इसके शब्दकोश में एक लाख बीस हजार शब्दों को संचित करने की क्षमता है और क्रमादेश को सम्पादित करके उसे अधतन करने की भी सुविधा है ताकि कुंजीपटल पर वर्तनी का विन्यास कार्य किया जा सके। इसी प्रकार हिंदी वर्तनी जॉस्कर साफ्टवेयर का भी विकास किया है और इसे जिस्टकार्ड पर स्क्रिप्ट संसाधक के रूप में चलाया जा सकता है इसी प्रकार सुंदर और आकर्षक लिखाई के 'ओशो कम्पून इंटरनेशनल, पुणे' ने अमृत, अभिलाषा, वसन्त आदि हिंदी के फाण्ट्स तैयार किये है। इसी प्रकार एक अन्य कम्पनी द्वारा आकृति95 सॉफ्टवेयर में हिंदी के अनेक फाण्ट्स विकसित किये है जो वर्तनी शोधन की सुविधा से सम्पन्न है।

मशीनी अनुवादः– यद्यपि कंप्यूटर पर पहला अनुवाद 7 जनवरी 1974 में रूसी से अंग्रेजी में किया गया था और उसमें गणित से संबंधितकुल 60 वाक्य थे। आजकल कंप्यूटर पर हिंदी के अनुवाद के प्रयास भी किये जा रहे है इस दिशा में सबसे विशिष्ट योगदान डॉ. ओमविकास का

रहा है। जिन्होने राजभाषा विभाग की सहायता से 'अनुवाद प्रारूप' तैयार करने के लिए कंप्यूटर से वैज्ञानिक अनुवाद कार्य की योजना बनाई इसके अतिरिक्त अंग्रेजी से हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए दिल्ली पिलानी और बंगलौश्र आदि के कंप्यूटर संस्थान लगे हुए है। मशीनी अनुवाद और एक लिपि से दूसरी लिपि के अंतरण की सुविधाओं का विकास करने के लिए हमारे देश में विभिन्न प्रौद्योगिकी तथा शोध संस्थान प्रयास कर रहे है। राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष द्वारा एक ऐसे साफ्टवेयर का निर्माण दिया गया है जो 85 से90 प्रतिशत शुद्धता के साथ विदेशी भाषाओं का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकता है।

कुछ नामी गिरामी कम्पनियों ने बाजार में ऐसे–ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए है जिनके माध्यम से हम काफी हद तक सही और शुद्ध अनुवाद कर सकते है।

हिन्दी भाषा शिक्षणः– किसी भी भाषा के शिक्षण के लिए व्याकरणिक दृष्टि और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि अपनाई जाती है व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की शिक्षा कम ध्वनि से प्रारम्भ होता है ध्वनियों के स्वरूप, उसकी परिभाषा, उच्चारण स्थान आभ्यंतर और बाह्र प्रयत्न की दृष्टि से ध्वनि पर विचार और इसके सम्बन्ध में शिक्षण कार्य किया जाता है।

ध्वनि विचार के बाद शब्दों का शिक्षण प्रारम्भ होता है।शब्द के दो भेद किये जाते है रूप और पद। जब शब्दों में कारकीय विभक्तियाँ जोड़ दिया जाता है। औश्र उनका अस्तित्व स्वतंत्र रूप में रहता है तब उन्हें रूप कहते है लेकिन जब यही रूप वाक्य में प्रयुक्त होता है और अन्य रूपों के साथ मिलकर पूरे वाक्य का अर्थ बोध कराने लगता है तब इसे पद कहते है। वाक्य में अन्विति की दृष्टि से रूप ही पद बन जाते है और समष्टि रूप से एक पूरे विचार अथवा अर्थ का बोध कराते है।

रूप और पद शिक्षण के बाद वाक्य शिक्षण प्रारम्भ होता है। वाक्य में पदों का सथान सुतिश्चित होता है किसी विशेष संदर्भ या शैली में इसे बदला जा सकता है जैसे हिंदी की गद्य रचना में वाक्य का गठन व्याकरणिक नियमों के आधार पर किया जाता है जबकि पद्य रचना में इसमें कुछ उलट–फेर भी हो जाता है वाक्य के प्रकार वाक्य की संरचना वाक्य की दृष्टि से परिवर्तन आदि की शिक्षा भी वाक्य के अंतर्गत दी जाती है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब हम भाषा शिक्षण की बात करते है तो यह शिक्षण वाक्य से शुरू होता है। क्योकि भाषा विज्ञान की मान्यता है कि भाषा ही वाक्य सबसे छोटी इकाई है भाषा के शेष तत्वों का अध्ययन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से विस्तार से किया जाता है। व्याकरण भाषा शिक्षण में भाषा के उच्चारण और लेखन दोनों ही स्तरों पर शुद्धि–अशुद्धि, साधुता और असाधुता की दृष्टि से विचार करता है जबकि भाषा विज्ञान विकास की दृष्टि से भाषा शिक्षण को महत्व देता है।

राजभाषा विभाग के प्रयत्नों से आज के इस मशीनी युग में कम्प्यूटर पर हिंदी भाषा के शिक्षण का प्रयास और उसकी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए कप्यूटर पर हिन्दी सिखाने वाले सॉफ्टवेयर में 'गुरू', लीला प्रबोध' आओ हिंदी सीखें आदि प्रमुख है वास्तव में कंप्यूटर पश्चिम जगत की देन है। इसलिए इसका सारा ताना–बाना अंग्रेजी भाषा में है और विश्व भाषा होने के कारण अंग्रेजी में ही कंप्यूटर के ही सारे क्रिया–कलाप चलाते है। लेकिन विश्व बाजार के चलते भारत को एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए हिंदी भाषा को भी कंप्यूटर पर महत्व मिलने लगा है और शीघ्र ही इसे ओर भी विकसित और कंप्यूटरी किया जाएगा।

4.3 सारांश :–

भाषा का भाषिक पक्ष काफी उलझा हुआ है जिसे अलग करना कठिन है। व्याकरण के सिद्धांतों ओर कोश की सहायता से कंप्यूटर एक भाषा के वाक्य को दूसरी भाषा में अनुदित कर सकता है। यद्यपि शाब्दिक अनुवाद बड़ा सरल है, लेकिन यह बेतुका और अटपटा भी है। मशीननी अनुवाद में स्त्रोत तथा लक्ष्य दो भाषाओं के रूप में अपनाते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह कार्य आधुनिक कंप्यूटर तकनीक पर आधारित है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी –शिक्षण का उपयोगी रूप सामने आ जाएगा। वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी के आकर्षक रूप से प्रयोग में देश्ज्ञ की एकता और अखण्डता निहित है। राजकाज में राजभाषा हिंदी का निराशाजनक प्रयोग अत्यन्त चिंता का विषय है।

4.4 संकेत शब्द :–

कंप्यूटर, आंकडा, शिक्षण, मानक, संचार

4.5 स्वः मूल्यांकन हेतु प्रश्न :–

प्रश्न 1– हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है– इस कथन का सांगोपांग विवेचन कीजिए।

प्रश्न 2– हिंदी के विविध रूपों–संपर्क भाषा, राष्ट्र भाषा, माध्यम भाषा तथा संचार भाषा आदि का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

प्रश्न 3– मानक हिन्दी विकास क्रम पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं का विवेचन करे।

प्रश्न 4– कंप्यूटर का परिचय देते हुए उसके भाषिक प्रयोग की उपयोगिता सिद्ध कीजिए।

प्रश्न 5– निम्न पर टिप्पणी करे।

क– संचार भाषा

ख – हिंदी भाषा–शिक्षण

4.6 संदर्भ सामग्री :–

1. भाषा और भाषिकी, देवीशंकर द्विवेदी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1993
2. भाषा विज्ञान की भूमिका, देवेन्द्रनाथ शर्मा, राधाकृष्ण, 1989
3. भाषा विज्ञान, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, इलाहाबाद, 1997
4. मानक हिन्दी का संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ओमप्रकाश भारद्वाज, आर्यबुक डिपो, दिल्ली।
5. भाषाविज्ञान और मानक हिन्दी, नरेश मिश्र, अभिनव प्रकाशन, दिल्ली, 1993
6. आधुनिक भाषाविज्ञान, कृपालकर सिंह एवं चतुर्भुज सहाय, नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्ली, 1997

7. आधुनिक भाषाविज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 1996
8. भाषाविज्ञान, भाषाशास्त्र, कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, 1997
9. हिन्दी भाषा : उद्‌गम और विकास, उदयनारायण तिवारी, भारती भंडार, इलाहाबाद, 1997
10. हिन्दी भाषा, भोलानाथ तिवारी, किताब महल, दिल्ली, 1991
11. हिन्दी : उद्‌भव और विकास, हरदेव बाहरी किताब महल, इलाहाबाद, 1965
12. हिन्दी भाषा का विकास, देवेन्द्रनाथ शर्मा एवं रामदेव त्रिपाठी, राधाकृष्ण, दिल्ली, 1971
13. हिन्दी भाषा : रूप विचार, सरनाम सिंह शर्मा 'अरुण', चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, 1962
14. देवनागरी, देवीशंकर द्विवेदी, प्रशात प्रकाशन, कुरुक्षेत्र 1990
15. देवनागरी लेखन तथा हिन्दी वर्तनी, लक्ष्मीनारायण शर्मा, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1976
16. भाषाविज्ञान के सिद्धान्त और हिन्दी भाषा, द्वारिकाप्रसाद सक्सेना, मीनाक्षी प्रकाशन दिल्ली, 1972
17. भाषा शिक्षण, रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रकाशन, दिल्ली, 1981
18. भाषा और भाषाविज्ञान, नरेश मिश्र, निर्मल पब्लिकेशन्स दिल्ली 2001
19. आधुनिक भाषा विज्ञान के सिद्धान्त, रामकिशोर शर्मा, लोकमारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1998
20. अनुवाद विज्ञान, राजमणि शर्मा, वाणी प्रकाशन, दिल्ली, 2002
21. अनुवाद विज्ञान और सम्प्रेषण, हरिमोहन, तक्षशिला प्रकाशन, दिल्ली, 1984

अनुवाद विज्ञान और आलोचना की नयी भूमिका रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा, 1980

bhasha vigyana part 2

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	0%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kuk.ac.in Internet Source	4%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	www.gramodayachitrakoot.ac.in Internet Source	<1%
4	Submitted to Scottish High International School Student Paper	<1%
5	manuu.ac.in Internet Source	<1%
6	www.educationportal.mp.gov.in Internet Source	<1%
7	ia802309.us.archive.org Internet Source	<1%
8	ebooks.lpude.in Internet Source	<1%
9	gejournal.net Internet Source	<1%

10	vdocuments.mx Internet Source	<1%
11	nrcmushroom.org Internet Source	<1%
12	www.minorityaffairs.gov.in Internet Source	<1%
13	www.scert-up.in Internet Source	<1%
14	kritika.org.in Internet Source	<1%
15	unigug.ac.in Internet Source	<1%
16	www.uprtou.ac.in Internet Source	<1%
17	Submitted to Bundelkhand University Student Paper	<1%
18	www.yumpu.com Internet Source	<1%
19	ignou.devsamaj.org Internet Source	<1%
20	scert.cg.gov.in Internet Source	<1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 14 words
Exclude bibliography	On		